कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प्रशिक्षण सामग्री

❖ विषय वस्तु (क्रमशः)–

1. रिटर्निंग आफिसर / सहा0 रिटर्निंग आफिसर (सांविधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित)
2. निर्वाचन व्यय अनुश्रवण
3. जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट
4. पीठासीन अधिकारी/अन्य मतदान अधिकारी

(अनिल कुमार सिंह)
पी0सी0एस0
विशेष कार्याधिकारी

÷ प्रशिक्षण ÷

रिटर्निंग आफिसर/सहायक रिटर्निंग आफिसर

उ0प्र0 विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2012

(सांविधिक प्रक्रिया से सम्बन्धित)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0

लखनऊ

➢पाठ्य सामग्री :–

1. भारत का संविधान (सुसंगत अनुच्छेद / प्राविधान)।
2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।
3. उ0प्र0 राज्य विधान–मण्डल (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 1971।
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (सुसंगत प्राविधान)
5. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961।
6. रिटर्निंग आफिसर की हस्तपुस्तिका।
7. पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका।
8. ई0वी0एम0 संचालन निर्देशिका।
9. भारत निर्वाचन आयोग के अद्यतन दिशा–निर्देश / पत्र।

नोटः– प्रशिक्षण सामग्री में दिये गये बिन्दु सांकेतिक हैं। विस्तृत अध्ययन के लिए उपरोक्त पाठ्य सामग्री का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाय।

➢ प्रारम्भिक–

- लोक सभा अथवा विधान सभा का कार्यकाल तब से प्रारम्भ हुआ माना जाता है जिस तिथि को उसके सत्र की पहली बैठक हुई हो।
- लोक सभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा तथा विधान सभा सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी होती है। उप–चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होती है।
- अधिसूचना जारी होने की तिथि के सात दिन बाद नामांकन की अन्तिम तिथि पड़ती है। नामांकन की तिथि के ठीक अगले दिन संवीक्षा की तिथि होती है। इसके दो दिन बाद नाम–वापसी की तिथि पड़ती है।
- सामान्यतया अधिसूचना की तिथि के 25वें दिन मतदान की तिथि पड़ती है।
- कोई निर्वाचन याचिका, निर्वाचन प्रक्रिया के बाद ही दाखिल की जा सकती है, अन्यथा पोषणीय नहीं होगी। चुनाव परिणाम की घोषणा के 45 दिन के अन्दर निर्वाचन याचिका दाखिल हो सकती है।
- सामान्य निर्वाचनों में, जिस समय चुनाव की तिथियों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, उस समय से लेकर सम्बन्धित विधान सभा के विधिवत गठन की अधिसूचना तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहती है, परन्तु उपचुनावों में तिथियों की घोषणा के समय से चुनाव परिणाम की घोषणा तक आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहती है।

नामांकन

- **लोक सूचना** (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–31 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम–3) :–

1. लोक सूचना प्रारूप–1 में निर्वाचन के लिए अधिसूचना के दिन प्रकाशित की जायेगी।
2. लोक सूचना (पब्लिक नोटिस) हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी।
3. आर0 ओ0 के नोटिस बोर्ड, तहसील/ब्लाक मुख्यालय तथा सम्बन्धित मतदेय स्थल पर नोटिस चस्पा होगी।
4. प्रारूप–1 में आर0 ओ0 द्वारा एक ए0 आर0 ओ0 का उल्लेख किया जायेगा जो आर0ओ0 के अतिरिक्त नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त कर सकेगा।

➢ नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 08, 32, 33, 33क तथा निर्वा0 संचालन नियम, 1961 के नियम 4, 4क तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय 5)

1. विधान सभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र का प्रारूप 2–ख है तथा लोक सभा चुनाव के लिए 2–क है।
2. नामांकन पत्र अधिसूचना/लोक सूचना के दिन से लेकर नियत अन्तिम तिथि तक (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) किसी भी दिन प्रस्तुत किया जा सकता है।
3. यह ध्यान रहे कि उक्त अवकाश एन0आई0 एक्ट, 1881 के अन्तर्गत ''सार्वजनिक अवकाश'' विधिवत घोषित हुआ हो।
4. ए0 आर0 ओ0 को ''सहायक रिटर्निंग आफिसर'' के तौर पर ही हस्ताक्षर करने हैं न कि ''कृते रिटर्निंग आफिसर''।

5. निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के प्रारूप के साथ प्रारूप– 26 तथा भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 25.02.2011 तथा 23.03.2011 की प्रतियां तथा शपथ पत्र का तदनुसार संशोधित प्रारूप प्रदान किया जाय।
6. आर0 ओ0 अथवा ए0 आर0 ओ0 में से कोई भी नामांकन पत्र प्राप्त कर सकता है।
7. प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र स्वयं अथवा उसके प्रस्तावक (पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पार्टी के उम्मीदवार के लिए 01 प्रस्तावक तथा पंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी तथा निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक अनुमन्य हैं)।
8. नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक नियत है।

- यहां यह उल्लेखनीय है कि कुछ प्रत्याशी या प्रस्तावक ठीक 03.00 बजे आर0 ओ0 आफिस में प्रविष्ट हो गये हों तो यह माना जायेगा कि उनके नामांकन 03.00 बजे अपराह्न प्रस्तुत कर दिये गये हैं।

9. एक उम्मीदवार की ओर से अधिकतम 04 नामांकन पत्र के सेट दाखिल किये जा सकते हैं।

10. नामांकन के साथ 02 शपथ पत्र (एक प्रारूप–26 में तथा दूसरा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांकित 25.02.2011 द्वारा संशोधित प्रारूप) उम्मीदवार द्वारा दाखिल किये जाने हैं।

- यहां ध्यातव्य है कि यदि कोई उम्मीदवार भूलवश शपथ पत्र का पुराना प्रारूप दाखिल करता है तो प्रारम्भिक सरसरी जांच में ही उसे यह बता देना चाहिए तथा एक संक्षिप्त नोटिस दी जानी चाहिए कि नियत संशोधित प्रारूप पर शपथ पत्र नामांकन की अन्तिम तिथि/ समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत करे।

11. आर0 ओ0 द्वारा उक्त शपथ पत्रों की एक प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करा देना है।

12. नामांकन पत्र तथा शपथ पत्र का कोई कालम रिक्त नहीं रहना चाहिए। रिक्ति की दशा में ''निल/एन0 ए0/X'' का अंकन होना चाहिए।

13. उम्मीदवार को लेकर कुल 05 व्यक्ति ही नामांकन के समय आर0 ओ0 आफिस में प्रवेश करने हेतु अनुमन्य हैं।

14. नामांकन के दौरान आर0 ओ0 आफिस के केन्द्र से 100 मीटर की त्रिज्या की परिधि तक अधिकतम 03 वाहन आने हेतु अनुमन्य हैं।

➢ नामांकन पत्रों की प्रारम्भिक / सरसरी जांच (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 33 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका क अध्याय–5)

1. जैसे ही नामांकन पत्र प्रस्तुत हो, आर0 ओ0 / ए0आर0ओ0 को चाहिए कि तकनीकी दृष्टिकोण से उसकी प्रारम्भिक एवं सरसरी जांच कर लें, परन्तु किसी भी दशा में इस स्तर पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा न करें।
2. निर्वाचक नामावली की प्रविष्टियों को नामांकन पत्र में उद्धृत प्रविष्टियों से मिलान कर लिया जाये।
3. ध्यातव्य है कि उम्मीदवार राज्य के किसी भी विधान सभा क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में बतौर मतदाता पंजीकृत होना चाहिए तथा उसके प्रस्तावक / प्रस्तावकों का उसी विधान सभा का मतदाता होना चाहिए, जिससे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है।

4. यदि उम्मीदवार किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र का मतदाता है तथा नामांकन के समय वह प्रस्तुत नहीं करता है तो ऐसी दशा में भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र दिनांकित 10.02.2009 में निर्दिष्ट चेकलिस्ट में इस तथ्य को इंगित करते हुए सम्बन्धित उम्मीदवार को एक मेमो इस आशय का दिया जायेगा कि वह सम्बन्धित मतदाता सूची के प्रासंगिक भाग की सत्यापित प्रतिलिपि नामांकन पत्रों की संवीक्षा के समय या उसके पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दे।

5. यदि किसी उम्मीदवार/प्रस्तावक द्वारा अपना नामांकन दाखिल करने के बाद कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत या जमा किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे जमा कर लिया जायेगा तथा उम्मीदवार/प्रस्तावक को प्राप्ति–रसीद दी जायेगी जिस पर प्राप्ति के दिनांक तथा समय का अंकन रहेगा। इसका उल्लेख उसके मूल नामांकन पत्र की चेकलिस्ट में भी आर0ओ0/ए0आर0ओ0 द्वारा कर दिया जायेगा।

➢चेकलिस्ट का प्रारूप–

चेकलिस्ट के बिन्दु निम्नवत हैं :–

1. क्या प्रारूप–26 पर शपथ पत्र दाखिल है ?
2. क्या भारत निर्वाचन आयोग के पत्र दिनांक 25.02.2011 के द्वारा संशोधित प्रारूप पर शपथ पत्र दाखिल है ?
3. क्या मतदाता सूची के संगत भाग की सत्यापित प्रतिलिपि दाखिल है ? (प्रत्याशी के किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र का मतदाता होने की दशा में)
4. क्या जाति प्रमाण पत्र संलग्न है ? (यदि प्रत्याशी अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की श्रेणी का लाभ लेना चाहता है)।
5. क्या जमानत राशि जमा है ?
6. क्या उम्मीदवार द्वारा शपथ/घोषणा ली गयी है ?

➢ प्रस्तावक (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 33 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–5)–

1. कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी भी प्रस्तावक हो सकता है शर्त यह है कि उसे सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। कोई प्रस्तावक एक प्रत्याशी के सभी नामांकन सेटों में तथा अन्य प्रत्याशियों के नामांकन सेट में प्रस्तावक हो सकता है।
2. किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक, उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
3. **एक प्रस्तावक–** राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त/राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त (उसी राज्य में) दल के उम्मीदवार की दशा में।

   दस प्रस्तावक– अन्य उम्मीदवारों की दशा में।
4. यदि कोई राज्य स्तरीय पार्टी जो कि किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त है परन्तु इस राज्य में (जहां चुनाव हो रहा है) मान्यता प्राप्त दल नहीं है और आयोग द्वारा उसे आरक्षित चुनाव चिन्ह का प्रयोग करने की छूट है तो भी ऐसे दल के उम्मीदवार को **10 प्रस्तावक** चाहिए।

➢ नामांकन पत्रों की पावती (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 33, 35 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–5)

1. जैसे ही नामांकन पत्र या उसके सेट प्रस्तुत किये जांय, वैसे ही प्रत्येक पर क्रम संख्या, प्राप्ति/प्रस्तुति का समय, दिनांक का अंकन कर लिया जाय।
2. यदि कई सेट दाखिल किये गये हैं तो प्रत्येक पर क्रमवार क्रमांक/समय/दिनांक की अंकना की जाय।
3. प्रत्येक नामांक पत्र के सापेक्ष उसकी पावती (भलीभांति भर कर) सम्बन्धित को प्राप्त करायी जाये।
4. आर0ओ0 प्रत्येक नामांकन पत्र का इन्द्राज एक ही निर्धारित पंजिका में किया जाये।

5. नामांकन पत्र प्राप्त करने के तुरन्त बाद आर0ओ0 / ए0आर0ओ0 सम्बन्धित प्रत्याशी को एक नोटिस प्राप्त करायेंगे, जिसमें संवीक्षा तथा चुनाव चिन्हों के आबंटन का समय, दिनांक तथा स्थान का उल्लेख होगा।
6. भारत निर्वाचन आयोग के परिपत्र दि0 10.02.2009 में निर्दिष्ट चेकलिस्ट को भलीभांति भर कर तथा चेक करने के उपरान्त उसकी एक प्रति सम्बन्धित उम्मीदवार को दी जायेगी।

➢ उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ/घोषणा

(संविधान के अनु0–176, आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 का पैरा–20)

1. शपथ/घोषणा का प्रारूप आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के एनेक्सचर नं0 12 में दिया है।
2. प्रत्याशी द्वारा ली जाने वाली शपथ/घोषणा नामांकन के तुरन्त बाद अथवा संवीक्षा के दिन के पहले (यदि संवीक्षा कल होनी है तो आज रात्रि 12.00 बजे के पूर्व) हो जानी चाहिए। संवीक्षा के दिन शपथ/घोषणा का प्राविधान नहीं है।
3. उम्मीदवार को यह सलाह दी जानी चाहिए कि वह नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के तुरन्त बाद शपथ/घोषणा की प्रक्रिया विधिवत पूर्ण कर ले। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो इस तथ्य को चेकलिस्ट में इंगित कर लेना चाहिए।

4. आर0ओ0, बन्दी उम्मीदवारों की दशा में जेल अधीक्षक, विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों के मामले में सम्बन्धित दूतावास में तैनात काउन्सलर इत्यादि व्यक्तियों के समक्ष शपथ/घोषणा की प्रक्रिया सम्पन्न की जा सकती है।

5. उम्मीदवार अधिकतम 2 विधान सभा क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है। यदि एक जगह से उसने शपथ/घोषणा की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है तो दूसरे क्षेत्र में यह करने की आवश्यकता नहीं है।

6. शपथ/घोषणा की प्रक्रिया सम्पन्न कर लेने के बाद उम्मीदवार को इस आशय का एक प्रमाण पत्र शपथ दिलाने वाले प्राधिकारी द्वारा दे दिया जायेगा।

➢ नामांकन के समय उम्मीदवारों को दिये जाने वाले मेमो फार्म्स आदि–

1. विधिक प्राविधानों की ओर ध्यान आकर्षण हेतु एक लिखित मेमो।
2. निर्वाचन सम्बन्धी व्यय–लेखा पंजिका (भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार)– दैनिक व्यय के रख–रखाव के लिये।
3. पोस्टर आदि छापने के सम्बन्ध में प्राविधान तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देश से सम्बन्धित मेमो (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–127क तथा आयोग के अद्यतन दिशा–निर्देश, आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 का पैरा–31)।
4. चेकलिस्ट की प्रतिलिपि (आयोग के परिपत्र दिनांक 10.02.2009)।

➢ नामांकनों की नोटिस (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा – 35 तथा निर्वा0 संचालन नियम–1961 के नियम–7)

1. नामांकन हेतु नियत प्रत्येक दिवस को अपराह्न 03.00 बजे के तुरन्त बाद, उस दिन दाखिल किये गये नामांकनों का विवरण प्रारूप 3क पर सम्बन्धित आर0ओ0/ए0आर0ओ0 तैयार कर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे।
2. यदि एक उम्मीदवार ने एक से अधिक नामांकन सेट दाखिल किया है तो प्रत्येक सेट के लिए नोटिस चस्पा होगी।
3. जिला निर्वाचन अधिकारी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 को प्रत्येक दिन की उपरोक्त सूचना भेजी जायेगी।

➢ जमानत राशि का जमा किया जाना (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 34, 35तथा आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 का पैरा–25)

1. यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक नामांकन सेट दाखिल करता है तो मात्र एक सेट में ही जमानत राशि देना अनिवार्य है।
2. उम्मीदवार द्वारा जमानत राशि जमा करने की रसीद प्रथम नामांकन पत्र/सेट के साथ संलग्न की जायेगी (यदि ऐसा नहीं है तो चेकलिस्ट में इंगित करें)।
3. जमानत राशि आर0ओ0/ए0आर0ओ0 के समक्ष कैश के द्वारा या राजकीय कोषागार के अन्तर्गत निर्धारित हेड 8443 में जमा की जा सकती है, चेक या ड्राफ्ट के द्वारा नहीं।
4. जमानत राशि नामांकन के पूर्व या नामांकन दाखिल करने के समय जमा की जा सकती है।

5. यदि उम्मीदवार एक से अधिक (दो) क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहा है तो प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी।

6. सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि रुपये 10,000/– तथा अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के उम्मीदवारों के लिए रुपये 5,000/– (सामान्य सीट पर भी) निर्धारित है। आर0ओ0 यह अवश्य सुनिश्चित कर लेंगे कि सम्बन्धित उम्मीदवार वास्तव में अनु0जाति/अनु0जनजाति की श्रेणी में आता है।

➢ नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की समेकित सूची (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 का पैरा–29)

1. नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे के तुरन्त बाद सभी नामांकन पत्रों की एक सूची बनायी जायेगी।
2. प्रत्याशियों के नाम को निम्नवत तीन श्रेणियों में व्यवस्थित/वर्गीकृत किया जायेगा–

   क– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल तथा मान्यता प्राप्त राज्यीय दल (उ0प्र0 में मान्यता प्राप्त)।

   ख– किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल।

   ग– निर्दलीय

3. उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में नामों को हिन्दी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जायेगा।

4. उपरोक्त सूची का प्रारूप आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 के पैरा–29.1 में दिया गया है।
5. प्रत्याशी का नाम एक बार लिखा जाना है, चाहे उसने एक से अधिक नामांकन सेट दाखिल क्यों न किया हो।
6. प्रथम नामांकन पत्र में उल्लिखित चुनाव चिन्ह को सूची में इंगित किया जायेगा।
7. उम्मीदवार का पता पूर्ण रूप से एवं भलीभांति भरा जाये (आधा–अधूरा या संक्षिप्त नहीं)।
8. यदि किसी पार्टी द्वारा एक से अधिक प्रत्याशी खड़े किये गये हैं तो भी उन प्रत्याशियों के नाम सूची में संगत श्रेणी में लिखे जायेंगे।
9. उक्त सूची की एक कापी उसी दिन निम्नलिखित को प्रेषित करें–

   क– मुख्य निर्वाचन अधिकारी ख– सम्बन्धित प्रिटिंग प्रेस

   ग– भारत निर्वाचन आयोग

➢नामांकन पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना–

1. सभी नामांकन पत्र तथा उनके साथ संलग्न सभी दस्तावेज आर0ओ0 के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे, जब तक कि उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में न रखवा दिया जाय।

2. यदि ए0आर0ओ0 ने कुछ नामांकन पत्र प्राप्त किये हैं तो प्रत्येक दिन वह ऐसे नामांकन पत्रों तथा सम्बन्धित दस्तावेजों को आर0ओ0 की सुरक्षित अभिरक्षा में रखने हेतु अग्रसारित करेंगे।

➢आर0ओ0 के पास निम्न सामग्री उपलब्ध रहनी चाहिए–

1. सुरक्षित तथा मुक्त चुनाव चिन्हों की अद्यतन सूची एवं उनके चित्र।
2. सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र की अद्यतन सत्यापित मतदाता सूची।
3. सांविधिक फार्म्स।
4. अन्य प्रारूप, मेमो, परिपत्र आदि जिन्हें नामांकन के समय उम्मीदवारों को दिया जाना है, जैसे–

   क– चेकलिस्ट का प्रारूप (आयोग के परिपत्र दि0 10.02.2009 के अनुसार)

   ख– निर्वाचन व्यय के लेखा एवं रख–रखाव हेतु प्राविधानों तथा इसकी पावती का मेमो–प्रारूप।

   ग– निर्वाचन व्यय लेखा का हिसाब–किताब रखने हेतु आयोग द्वारा निर्धारित पंजिका (शपथ पत्र के प्रारूप के साथ)।

घ– आयोग के सुसंगत अद्यतन आदेशों का संकलन पूर्व में कर लिया जाय ताकि नामांकन के समय उम्मीदवारों को प्रतियां देने में कोई तकनीकी कठिनाई न आये।

ङ– नामांकन पत्रों के इन्द्राज के लिये पंजिका।

च– नामांकन दाखिल हुए उम्मीदवारों की समेकित सूची का प्रारूप– जैसा कि आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–5 के पैरा–29 में दिया गया है।

छ– आर0 ओ0 की मुहर (सील)– (पीतल तथा रबर दोनों)

ज– कैश रसीद बुक तथा कैशियर– जमानत राशि जमा करने हेतु।

झ– निर्वाचन के लिए अनर्ह व्यक्तियों की सूची (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–8क, 9 तथा 10क)

➢ फार्म–ए तथा फार्म–बी की प्राप्ति (चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 13,13क, 13ग)

– किसी पंजीकृत दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष/महासचिव/सचिव फार्म–ए में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को प्रतिनिधानित/अधिकृत करता है कि यह व्यक्ति किसी उम्मीदवार को उक्त दल का प्रत्याशी, फार्म–बी में घोषित कर सकेंगे।

– आर0ओ0 के समक्ष फार्म–ए तथा फार्म–बी नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

– फार्म–ए तथा फार्म–बी मूल रूप में ही लिया जाना चाहिए। फैक्स, फोटो कापी नहीं। उस पर हस्ताक्षर भी इंक से होने चाहिए। हस्ताक्षर की प्रतिकृति अनुमन्य नहीं हैं। डाट पेन से किये गये हस्ताक्षर अनुमन्य हैं।

➢ प्रत्याशी द्वारा अपने शपथ पत्र में दी गयी सूचना को सार्वजनिक/प्रकाशित किया जाना–

1. नामांकन पत्र की एक प्रति, शपथ पत्र (फार्म–26) तथा भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 25.02.2011 के द्वारा संशोधित शपथ पत्र को आर0ओ0 आफिस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा। इनकी प्रतियां प्रेस/मीडिया को, गैर सरकारी संगठनों को तथा किसी भी सामान्य जन को मुफ्त में उपलब्ध करायी जायेंगी।
2. नामांकन प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर आयोग की बेबसाइट पर शपथ पत्रों की स्कैनिंग कर अपलोड कर दिया जाय।
3. प्रति शपथ पत्र के माध्यम से दी गयी प्रतिकूल सूचनाओं को भी नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराया जाय।

4. प्रत्येक शपथ पत्र की प्रतियां यथाशीघ्र जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए ताकि वह उन्हें एकत्र कर सुरक्षित रखें। आवेदक द्वारा मांगे जाने पर उनकी प्रतियां फोटोकापी करने का शुल्क लेते हुए उन्हें उपलब्ध करा दी जांय।
5. प्रत्याशियों की समेकित सूची जारी करने के दो दिवस के अन्दर सम्बन्धित आर0ओ0, प्रत्याशियों द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से राजकीय देयों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना को एकत्र कर नियत प्रारूप में दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेंगे।
6. राजकीय देय– जैसे– जल कर/ गृह कर, विद्युत बकाया आदि।

➢ नामांकन पत्रों की संवीक्षा

– स्वयं आर0 ओ0 द्वारा संवीक्षा की जायेगी (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–22 (2), आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–1)।

– नामांकन पत्रों की संवीक्षा स्वयं आर0ओ0 द्वारा की जायेगी। अपरिहार्य परिस्थिति में जबकि आर0ओ0 का संवीक्षा करना असम्भव ही हो जाय तब आर0 ओ0 को कारण अभिलिखित करना होगा और लिखित रूप में ए0आर0ओ0 को प्राधिकृत करना होगा तथा सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी को संसूचित करना होगा।

– समस्त मामलों में, नामांकन पत्रों की संवीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो ग्राफी करायी जानी चाहिए (आयोग के पत्र संख्या–576/3/2009/एस0डी0आर0 दि0 10.02.2009)।

➢ संवीक्षा के लिए नियत स्थान में प्रवेश (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–36 (1), आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–3)

– संवीक्षा के लिए नियत दिनांक एवं समय पर केवल निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए प्रवेश की अनुमति होगी–

क– स्वयं उम्मीदवार

ख– उसका निर्वाचन अभिकर्ता

ग– प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक, और

घ– उम्मीदवार द्वारा सम्यक रूप से लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया एक अन्य व्यक्ति (जैसे– अधिवक्ता)

– नामांकन पत्रों का परीक्षण करने के लिए उपस्थित व्यक्तियों को युक्ति–युक्त अवसर एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी।

➢ संवीक्षा (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा 33,36,निर्वा0 संचालन नियम–1961 का नियम–4, आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–6)

1. संवीक्षा एक अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया है।
2. समस्त नामांकन पत्रों की संवीक्षा क्रमवार की जायेगी।
3. प्रत्येक आपत्ति और अस्वीकृति के मामलों में कारण अभिलिखित करते हुए समुचित आदेश पारित करना होगा।
4. संवीक्षा के लिए नियत दिनांक ही अर्हताओं और अनर्हताओं हेतु निर्णायक दिनांक है।
5. गौड़, तकनीकी या लिपिकीय त्रुटियों की उपेक्षा करने में उदार रहें।
6. ऐसी किसी त्रुटि, जो मौलिक प्रकृति की न हो, के आधार पर नामांकन पत्र अस्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. जहां किसी मान्यता प्राप्त दल ने किसी उम्मीदवार को मुख्य उम्मीदवार के रूप में और दूसरे उम्मीदवार को स्थानापन्न उम्मीदवार के रूप में प्रायोजित किया हो, वहां मुख्य उम्मीदवार के नामांकन पत्र की संवीक्षा पहले की जायेगी। यदि मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र विधिमान्य पाया जाय तो उस राजनैतिक दल द्वारा स्थानापन्न उम्मीदवार को खड़ा किया नहीं माना जायेगा।

8. जहां कोई उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र में इस बात की घोषणा न किया हो कि उसे किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, वहां उसे उस दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा।

9. निर्वाचक नामावली या नामांकन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण, लिपिकीय, तकनीकी या मुद्रण सम्बन्धी त्रुटि की उपेक्षा की जायेगी (धारा–33 (4) का परन्तुक)

➢अस्वीकृत किये जाने के आधार (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा 10 तथा लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–36)

1. नामांकन पत्र अस्वीकृत हो जायेगा, यदि–

   क– उम्मीदवार अर्ह न हो, या

   ख– उम्मीदवार स्पष्ट रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया हो, या

   ग– उम्मीदवार, लोक प्रतिनिधित्व अधि0–1951 की धारा–33, 33क और 34 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल हो गया हो।

   घ– उम्मीदवार या प्रस्तावक का हस्ताक्षर वास्तविक न हो।

   ङ– शपथ पत्र प्रस्तुत न किया गया हो (यथा संशोधित आयोग के आदेश दिनांक 25.02.2011 का अनुलग्नक–1)।

2. अर्हताओं के लिए निम्न उपबन्धों का अवलोकन करें–

क– संविधान का अनु0, 173।

ख– लोक प्रतिनिधित्व अधि0, 1951 की धारा–5 तथा 55।

3. अनर्हताओं के लिए निम्न उपबन्धों का अवलोकन करें–

क– संविधान का अनुच्छेद–191।

ख– लोक प्रतिनिधित्व अधि0, 1951 की धारा–8, 8क, 9, 9क, 10, 10क तथा 11।

ग– लोक प्रतिनिधित्व अधि0, 1951 की धारा–36 (7) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधि0, 1950 की धारा–16

घ– उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) अधि0, 1971।

4. किसी नामांकन पत्र को अस्वीकृत किये जाने की दशा में कार्य–स्थल पर ही अस्वीकृति के कारणों को अभिलिखित करें। उस स्थिति में आदेश की निःशुल्क प्रमाणित प्रतियां अभ्यर्थी को उपलब्ध करायें जिसके समस्त नामांकन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया हो। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन न किये जाने पर भी आदेश के निःशुल्क प्रमाणित प्रतियों को दिया जा सकता है।

➢अर्हताएँ–

- भारत का नागरिक होना आवश्यक है (संविधान के अनु0, 173 (क))
- राज्य में किसी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।
- अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के लिए आरक्षित किसी सीट की स्थिति में, राज्य में अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति का सदस्य होना चाहिए।
- तृतीय अनुसूची में निर्धारित किये गये प्रपत्र में प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना आवश्यक है (अनु0–173(क))।
- नामांकन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत दिनांक को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है।
- अनु0 जाति या अनु0 जनजाति का सदस्य सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकता है।

➢संविधान के अधीन अनर्हतायें (अनु0, 191)–

- यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो।

  अपवाद– केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री गण (अनु0, 191(क)), अन्य अपवाद उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) में उल्लिखित हैं।

- यदि कोई व्यक्ति विकृत मानसिकता का हो, जिसे ऐसा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो (अनु0, 191 (ख))।
- यदि कोई व्यक्ति अनुन्मोचित दिवालिया हो (अनु0, 191 (ग))।

  ध्यातव्य है कि किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित हो।
- यदि कोई व्यक्ति दसवीं अनुसूची के अधीन दल–बदल के आधार पर अनर्ह हो गया हो (अनु0, 191 (2))।

- यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक न हो, या वह किसी विदेशी राज्य की स्वेच्छापूर्वक नागरिकता प्राप्त कर लिया हो या वह किसी राजनिष्ठा को अभिस्वीकृत करने या किसी विदेशी राज्य की निष्ठा के अधीन हो (अनु0–191 (घ))।

➢ लोक प्रतिनिधित्व अधि0, 1951 के अधीन अनर्हता–

– कतिपय अपराधों के लिए दोषसिद्धि के आधार पर अनर्हता (धारा–8, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–509/5/2005 जे एस–1 दिनांक 14.01.2005 और 20.01.2005)–

1. दोषसिद्धि के दिनांक से अनर्हता प्रारम्भ होगी और निम्नलिखित स्थिति तक जारी रहेगी–

   क– छः वर्ष की अवधि तक के लिए केवल अर्थदण्ड की स्थिति में, और

   ख– कारावास की स्थिति में, मुक्त किये जाने की तिथि से अग्रेतर छः वर्ष की अवधि तक।

2. अनर्हता के लिए अपराध और कारावास की अवधि–

क– धारा–8(1) के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए– कोई शास्ति या कोई कारावास की अवधि।

ख– धारा–8(2) के अधीन उल्लिखित अपराधों के लिए– न्यूनतम छः माह का कारावास।

ग– धारा–8(3) के अधीन किन्हीं अन्य अपराधों के लिए– दो वर्ष का न्यूनतम कारावास।

3. किसी सामान्य विचारण में, एक से अधिक अपराधों के लिए दोषी ठहराये जाने और लगातार चल रहे कारावास के दण्डादेशों की स्थिति में धारा–8 (3) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक अपराध हेतु कारावास के दण्डादेश की अवधि में वृद्धि की जानी चाहिए तथा यदि कुल समयावधि दो वर्ष या उससे अधिक हो तो दोषी ठहराये गये व्यक्ति को लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–8 (3) के अधीन अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।

4. उपर्युक्त निर्वचन, समान रूप से धारा–8(2) के उपबन्धों हेतु समान रूप से लागू होगा।

5. धारा–8(4) के अधीन प्रदत्त बचाव/सुरक्षा, आसीन संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य को सदन की सदस्यता के लिए ही न कि आगामी निर्वाचन के लिए उपलब्ध होगी।

➢ भ्रष्ट संव्यवहार के आधार पर अनर्हता (धारा–8क)–

- किसी निर्वाचन याचिका में या निर्वाचन अपील में पारित निर्णय के द्वारा किसी भ्रष्ट संव्यवहार के लिए दोषी पाये जाने पर–

  भारत निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात राष्ट्रपति, छः वर्ष तक की अनर्हता अवधि अवधारित करते हैं।

➢ भ्रष्टाचार या अनिष्ठा के लिए पदच्युति के आधार पर अनर्हता (धारा–9)

- केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अनिष्ठा या भ्रष्टाचार के आरोप में यदि किसी सरकारी कर्मचारी को पदच्युत किया गया है तो पदच्युति के दिनांक से अनर्हता अवधि पांच वर्ष होगी– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा (धारा–33 (3) भी दृष्टव्य)।
- यदि पदच्युति उक्त दो आधारों से भिन्न किसी आधार पर हुई है तो आयोग से प्रमाण–पत्र निर्गत होने पर ही नामांकन पत्र वैध माना जायेगा।

➢ सरकारी संविदाओं आदि के लिए अनर्हता (धारा–9क)–

- यदि माल की आपूर्ति या किन्हीं कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सरकार के साथ की गयी कोई संविदा विद्यमान हो– जहां संविदा का पूर्ण निष्पादन सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा कर दिया गया हो और सरकार द्वारा उसके आंशिक भाग का भी निष्पादन न किया गया हो तो उक्त संविदा को विद्यमान संविदा नहीं समझा जायेगा।

➢ सरकारी कम्पनी के अधीन पद के लिए अनर्हता (धारा–10)

- किसी ऐसी कम्पनी या निगम (सहकारी समिति से भिन्न) का प्रबन्ध अभिकर्ता, प्रबन्धक या सचिव जिसमें राज्य सरकार का 25 प्रतिशत या उससे अधिक का शेयर हो।

➢ निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए अनर्हता (धारा–10क)–

भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के दिनांक से 3 वर्ष के लिए अनर्हता।

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा धारा–8, 9, 9क, 10 और 10क के अधीन किसी अनर्हता को निरसित किया जा सकता है या ऐसी किसी अनर्हता की अवधि को घटाया जा सकता है (धारा–11)।

➢ अनर्ह व्यक्तियों की सूची

- धारा–8क, 9 और 10क के प्रयोजनार्थ, कृपया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत अनर्ह व्यक्तियों की नवीनतम सूची का संदर्भ ग्रहण करें।

- शिक्षा मित्र, आगनबाड़ी कार्यकर्त्ती, रोजगार सेवक आदि जो कि किसी सरकारी संविदा के आधार पर मासिक वेतन पाते हैं, वे भी लाभ के पदधारी हैं और इस प्रकार सेवारत रहते हुए चुनाव लड़ने के लिए अनर्ह हैं (इस सम्बन्ध में विधिक राय अवश्य ले लें तथा अद्यतन दिशा–निर्देशों का पालन करें)।

➢ संवीक्षा का स्थगन

– आपत्तियों की कार्यवाहियों/उसकी सुनवाई का स्थगन (लो0प्र0अधि0–1951 की धारा–36(5) तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–11)–

- धारा–36(5) में निर्धारित परिस्थितियों में ही– संवीक्षा के लिए नियत दिनांक से अगले दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे। उसके पश्चात नहीं।

➢ विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–36(8) और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–12, 13 और 14 तथा निर्वा0 संचा0 नियम–1961 के नियम–8, 22(3), 30(3))–

- सूची **प्रारूप–4** में तैयार की जायेगी और उसे सूचना पट्ट पर लगाया जायेगा। नामों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया जायेगा, अर्थात्–
  1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दलों के उम्मीदवार ।
  2. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार।
  3. अन्य/निर्दलीय उम्मीदवार।
- यदि कोई गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल का प्रत्याशी दस प्रस्तावकों के द्वारा समर्थित है तथा नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे तक फार्म ए तथा बी देने में असफल रहता है तो उसे निर्दलीय उम्मीदवार माना जायेगा।

- नामों को प्रत्येक श्रेणी में, हिन्दी वर्णमाला के क्रम में रखा जायेगा। नामांकन पत्र में यथा प्रदत्त नाम के प्रथम अक्षर पर विचार (उपनाम पर ध्यान दिये बिना) किया जायेगा। तथापि, नाम के पहले लगे हुए अद्याक्षरों/उपाक्षरों (अर्थात्– टी0के0, एस0आर0) को इस प्रयोजनार्थ उपेक्षित किया जायेगा।
- नामों के पहले या पश्चात रखे जाने वाले सम्मानसूचक शीर्षकों को रखने की अनुमति होगी परन्तु इन उपसर्गों पर, वर्णमाला क्रम में नामों का अवधारण किये जाते समय ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- एक उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रविष्टि होगी।
- निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 के नियम–22 (3) तथा 30 (3)– यदि एक ही श्रेणी में दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम एक समान हों तो उनके नामों के साथ उपजीविका या आवासीय पता या कोई अन्य विशेषण (जैसे– पिता का नाम) जोड़कर, क्रम निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार जोड़े गये विशेषण के साथ विधिमान्य नामांकित प्रत्याशियों की सूची तैयार की जायेगी तथा मतपत्र पर भी इसी प्रकार मुद्रण होगा।

➢ स्थानापन्न /प्रतिस्थापित उम्मीदवार (लो0प्र0अधि0–1951 की धारा 33 और 36 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–10)

1. स्थानापन्न उम्मीदवार के नामांकन पत्र को उस दशा में अस्वीकृत कर दिया जायेगा, यदि दल के मुख्य उम्मीदवार का नामांकन पत्र स्वीकृत हो जाता है। तथापि, यदि ऐसे स्थानापन्न उम्मीदवार ने भी दस प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षरित अन्य नामांकन पत्र दाखिल किया गया हो तो इस नामांकन पत्र की स्वतन्त्र संवीक्षा उसे स्वतन्त्र उम्मीदवार मानते हुए की जायेगी।

➢ **उम्मीदवारों के नामों में संशोधन** (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–6 का पैरा–13)–

– नामांकन के समय या संवीक्षा किये जाने के ठीक पश्चात या चुनाव चिन्ह/प्रतीक आबंटित किये जाते समय, और निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची तैयार किये जाने से पूर्व आवेदन किये जाने पर नाम की वर्तनी में संशोधन/परिवर्तन किया जा सकता है।

- **प्रेषित करें–**

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित दो प्रतियां ई–मेल और फैक्स द्वारा।
2. भारत निर्वाचन आयोग को अंग्रेजी रूपान्तरण सहित एक प्रति।
3. आबंटित राजकीय मुद्रणालय को एक प्रति।

➢ नाम–वापसी / अभ्यर्थिता वापसी / नामांकन प्रत्याहरण

– अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–37 तथा निर्वा0 संचालन नियम–1961 का नियम–9 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–7 का पैरा–1 से 4)

1. प्रत्याशी अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्रारूप–5 में आर0ओ0 को देगा। आर0ओ0 ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तिथि और समय, जिस पर वह परिदत्त की गयी थी, टीप लिखेगा।

2. प्रत्याशी द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप–5, प्रत्याशी द्वारा स्वयं या उसके प्रस्तावक या उसके चुनाव अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्तावक या चुनाव अभिकर्ता के मामलों में प्रत्याशी द्वारा उन्हें लिखित रूप में इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया होना चाहिए।

3. संवीक्षा की समाप्ति के पश्चात नाम वापसी की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे तक या पूर्व कार्यालय समय सीमा में किसी भी दिन (सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) अभ्यर्थिता वापस हो सकती है।

4. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना आर0ओ0 या ए0आर0ओ0 को उनके कार्यालय में दी जायेगी (जैसा कि फार्म–1 में उद्धृत है)।

5. यथा सम्भव आर0ओ0 / ए0आर0ओ0 को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्याशी स्वयं उपस्थित होकर नाम वापसी के लिए आवेदन दे।

6. आर0ओ0 को नाम वापसी की सूचना/आवेदन की प्रामाणिकता को तथ्यात्मक रूप से भलीभांति जांच/परख लेना चाहिए।

7. विधिमान्य रूप से अभ्यर्थिता–वापस प्रत्याशियों की सूचना **प्रारूप–6** में आर0ओ0 के नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन चस्पा की जायेगी।

8. विधिमान्य नाम वापसी के पश्चात उसे निरस्त नहीं किया जायेगा।

9. नाम वापसी के लिए रसीद तत्काल सम्बन्धित को दे दी जायेगी।

➢ निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी

(लो0प्र0अधि–1951 की धारा–38, निर्वा0 सचालन नियम–1961 का नियम–10 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–7)

1. नाम–वापसी की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे के तुरन्त बाद तथा प्रतीक आबंटन के पश्चात, उक्त सूची **प्रारूप–7क** पर तैयार की जायेगी।
2. प्रारूप–7क को हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में तैयार किया जायेगा तथा अभ्यर्थियों के नामों को निम्न तीन श्रेणियों में व्यवस्थित किया जायेगा –

   क– मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के प्रत्याशी

   ख– किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त राज्यीय दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल

   ग– निर्दलीय / अन्य

3. प्रत्याशियों के नामों का व्यवस्थापन उपरोक्त श्रेणी के अनुसार क्रमवार होगा।

4. प्रत्येक श्रेणी में नामों का व्यवस्थापन हिन्दी वर्णमाला के क्रम में किया जायेगा तथा प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सुसंगत सूचना तथा उनका पूर्ण पता लिखा जायेगा।

5. निर्विरोध निर्वाचन की दशा में भी **प्रारूप–7क** पर सूची तैयार की जायेगी।

6. प्रारूप–7क पर तैयार सूची को (अंग्रेजी भाषा में भी) यथाशीघ्र राजकीय प्रेस, मुख्य निर्वाचन अधिकारी तथा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किया जाय।

7. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतीकों के सम्बन्ध में भेजे गये अद्यतन दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रूप से अध्ययन करें।

8. मत पत्र पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के नाम उसी प्रकार तथा उसी क्रम में होंगे जैसा कि प्रारूप–7क में है। यद्यपि श्रेणियों के शीर्षक का उल्लेख मत पत्र पर नहीं होगा।

➢निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन

(लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–38, निर्वा0 संचा0 नियम–1961 के नियम–10, 11, 31(1) (बी) तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–7)

1. प्रारूप–7क में सूची सहजदृश्य स्थान पर नोटिस बोर्ड पर चस्पा होगी (निर्विरोध निर्वाचन की दशा में भी)।
2. उक्त सूची की प्रति प्रत्येक उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्ता को दी जायेगी।
3. उक्त सूची का प्रकाशन राजकीय गजट में कराया जायेगा।
4. उक्त सूची को प्रत्येक मतदेय स्थल के बाहर सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के दिन के पूर्व चस्पा किया जायेगा।
5. मत पत्र ठीक **प्रारूप–7क** के अनुसार ही छपेंगे।

➢ चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को परिचय पत्र

(आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–7 का पैरा–8)

1. आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–7 के पैरा 8 में दिये गये प्रारूप पर प्रत्याशी के फोटो ग्राफ सहित दो परिचय पत्र तैयार किये जायेंगे। एक प्रति उम्मीदवार को दे दी जायेगी तथा एक प्रति रिकार्ड में रखी जायेगी।
2. परिचय पत्र, आर0ओ0 द्वारा प्रमाणित/हस्ताक्षरित किया जायेगा तथा मुहर लगेगी।

➢ **मतदेय स्थलों की सूची प्रदान करना** (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–2 का पैरा–11.2)– प्रत्येक अभ्यर्थी को मतदेय स्थलों की सूची की तीन प्रतियां मुफ्त में प्रदान की जायेंगी।

- विधिक प्राविधानों से अवगत कराना– भ्रष्ट आचरण/ भ्रष्ट संव्यवहार तथा चुनाव सम्बन्धी अपराध (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–7 का पैरा–9) के सम्बन्ध में एक नोटिस चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को आर0 ओ0 द्वारा दी जायेगी। इस नोटिस का उद्देश्य यह है कि प्रत्याशियों के संज्ञान में भ्रष्ट आचरण एवं चुनाव सम्बन्धी अपराध के लिए प्राविधानित दण्ड को लाया जाय (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अनुलग्नक **XX** में प्रारूप दिया है)।

➢ निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–40, 41 तथा 45 और निर्वा0 संचा0 नियम–1961 के नियम–12)–

1. कोई उम्मीदवार अपने निर्वावन अभिकर्ता को नियुक्त करने के लिए **प्रारूप –8** पर दो प्रतियों में अभिकर्ता के फोटो लगाकर आर0ओ0 के समक्ष नामांकन के समय अथवा उसके पूर्व या संवीक्षा के पूर्व कभी भी आवेदन कर सकता है।
2. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति **प्रारूप–8** में की जायेगी और इसकी सूचना आर0ओ0 को दो प्रतियों में दी जायेगी। आर0ओ0 उनमें से एक प्रति को अपने अनुमोदन के साक्ष्यस्वरूप अपनी मुद्रा लगाने और हस्ताक्षर करने के उपरान्त निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी को वापस कर देगा।
3. निर्वाचन अभिकर्ता का प्रतिहरण **प्रारूप–9** में किया जायेगा।

4. निर्वाचन अभिकर्ता के अतिरिक्त एक निर्वाचन व्यय अभिकर्ता को भी नियुक्त करने का प्राविधान है।
5. मंत्री, सांसद, विधायक आदि जिन्हें सुरक्षा–कवर प्राप्त है, चुनाव अभिकर्ता नहीं बन सकते हैं।
6. जो व्यक्ति सांसद या विधायक बनने हेतु अनर्ह हैं या चुनाव में वोट देने के लिए अनर्ह हैं, चुनाव अभिकर्ता नहीं बन सकते।
7. चुनाव अभिकर्ता को परिचय पत्र दिया जायेगा।
8. आर0ओ0 / ए0आर0ओ0 को चाहिए कि प्रत्याशी तथा उसके निर्वाचन एजेण्टों के नमूना हस्ताक्षर भलीभांति प्राप्त कर लें तथा उसका पर्याप्त सर्कुलेशन / वितरण सुनिश्चित करें।

➢ नामांकन से सम्बन्धित दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाना

(आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–7 का पैरा–7) –

1. नाम–निर्देशन, संवीक्षा तथा नाम वापसी की कार्यवाही तथा सम्बन्धित दस्तावेजों को एक साथ एक लिफाफे में रखकर उस पर विवरण अंकित करते हुए आर0ओ0 को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहिए।
2. चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद उक्त दस्तावेजों को जिला निर्वाचन अधिकारी के सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया जाय।

➢ **प्रतीक / चुनाव चिन्ह आबंटन** (निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम–5 और 10 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–8)

– **अनुमोदित प्रतीक** (निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 का पैरा–17)–

1. आयोग द्वारा निर्गत **अद्यतन** नोटिफिकेशन, जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल तथा उनके लिए आरक्षित प्रतीकों का विवरण दिया हो, को पढ़ें तथा उसका अनुपालन करें।
2. आयोग द्वारा निर्गत **अद्यतन** नोटिफिकेशन, जिसमें पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की सूची तथा उ0प्र0 राज्य में मुक्त प्रतीकों की सूची का विवरण दिया हो, को पढ़ें तथा उसका अनुपालन करें।

➢ **प्रतीकों का चुना जाना** (निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम–5 और 10 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–8)

1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी सम्बन्धित दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को चुनेंगे और यह चुनाव चिन्ह उन्हें आबंटित कर दिया जायेगा। उन्हें कोई अन्य चुनाव चिन्ह नहीं दिया जायेगा।
2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों को कुछ चुन्निदा/एक निश्चित विधान सभा क्षेत्रों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित किया गया है तो उन्हें उस विधान सभा क्षेत्र के लिए उक्त प्रतीक आबंटित हो जायेगा।
3. अन्य गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी तथा निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा मुक्त प्रतीकों की सूची में से कोई **तीन** चुनाव चिन्ह चुने जायेंगे/आवेदित किये जायेंगे।

3. अनुमोदित प्रतीकों के चुनाव चिन्हों को निर्दलीय तथा गैर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को आबंटित नहीं किया जायेगा।

4. आरक्षित प्रतीक केवल मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को आबंटित होंगे।

5. किसी प्रत्याशी (मान्यता प्राप्त पार्टी द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी से भिन्न) द्वारा दाखिल किये गये प्रथम नामांकन पत्र में उल्लिखित प्रतीकों पर आबंटन के लिए विचार किया जायेगा, चाहे वह नामांकन पत्र अस्वीकृत ही क्यों न हो।

6. राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े किये गये प्रत्याशी के मामले में, प्रत्याशी द्वारा अपने उत्तरोत्तर नामांकन पत्रों में उल्लिखित पार्टी के चुनाव चिन्ह के आबंटन पर विचार किया जा सकता है।

➢ **प्रतीकों का आबंटन** (निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम–5 और 10 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–8 का पैरा–4 तथा निर्वा0 प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश, 1968)

1. सर्वप्रथम राष्ट्रीय/राज्यीय मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को आरक्षित प्रतीक आबंटित करें। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रतीकों के आबंटन आदेश 1968 के पैरा–13 तथा 13क में निर्धारित शर्तें पूर्ण होनी चाहिए।
2. यदि कोई राज्यीय पार्टी किसी अन्य राज्य में मान्यता प्राप्त दल के रूप में पंजीकृत है तथा इसने कोई प्रत्याशी उ0प्र0 में किसी विधान सभा क्षेत्र से चुनाव में खड़ा किया है तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देश/पत्र के अन्तर्गत ही उस प्रत्याशी को उस दल के लिए आरक्षित प्रतीक को आबंटित किया जायेगा।

3. यदि कोई गैर मान्यता प्राप्त दल, जो कि निर्वाचन के नोटिफिकेशन होने की तिथि से छः वर्ष से अनाधिक समय सीमा में मान्यता प्राप्त था, कोई प्रत्याशी खड़ा करता है तथा इस सम्बन्ध में आयोग से कोई पत्र/दिशा–निर्देश प्राप्त हो गया है, तो उस प्रत्याशी को, खड़ा करने वाले दल को पूर्व में आरक्षित प्रतीक आबंटित किया जायेगा।

4. यदि दो या अधिक प्रत्याशियों द्वारा एक ही मुक्त प्रतीक मांगा गया है तो उनमें से पंजीकृत पार्टी के प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि दो या अधिक प्रत्याशी विभिन्न पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों द्वारा खड़े किये गये हों तो– यदि उनमें से एक प्रत्याशी, ठीक पिछले चुनाव में विजयी होकर एम0एल0ए0 या एम0पी0 (सिटिंग) रहा है तो उसको प्रतीक आबंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रत्याशी इसी मुक्त प्रतीक से अथवा किसी अन्य प्रतीक से चुनाव लड़कर जीता था।

5. यदि एक से अधिक प्रत्याशियों ने एक ही मुक्त प्रतीक मांगा है तथा उनमें से मात्र एक प्रत्याशी किसी गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा शेष अन्य सभी प्रत्याशी निर्दलीय हैं तो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल द्वारा खड़ा किये गये प्रत्याशी को वह मुक्त प्रतीक आबंटित होगा। यदि ऐसे प्रत्याशियों में से दो या अधिक प्रत्याशी गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल द्वारा खड़े किये गये हों तथा शेष अन्य निर्दलीय हों तथा सभी एक ही मुक्त प्रतीक मांग रहे हों तो ऐसी दशा में गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दलों के प्रत्याशियों में लाटरी निकाल कर चुनाव चिन्ह/प्रतीक आबंटित किया जायेगा।

6. यदि एक से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा एक ही चुनाव चिन्ह मांगा जाता है तो ऐसी दशा में यह देखा जायेगा कि यदि उनमे से कोई प्रत्याशी ठीक पिछले चुनाव में उसी चुनाव चिन्ह से (जिसे वह अब मांग रहा है) जीत कर सिटिंग एम0पी0/एम0एल0ए0 है तो उसे मांगा गया यह चुनाव चिन्ह आबंटित कर दिया जायेगा।

7. यदि मात्र एक प्रत्याशी द्वारा किसी मुक्त चुनाव चिन्ह को मांगा गया है तथा किसी अन्य ने इस मुक्त चुनाव चिन्ह को नहीं मांगा है तो उक्त चुनाव चिन्ह को उक्त प्रत्याशी को आबंटित कर दिया जायेगा।
8. यदि एक से अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों द्वारा एक ही मुक्त चुनाव चिन्ह मांगा गया है तथा उनमें से कोई भी सिटिंग एम0एल0ए0/एम0पी0 नहीं है/था तो ऐसी दशा में लाटरी निकाल कर फैसला किया जायेगा।

➢ किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया उम्मीदवार

(प्रतीक आबंटन आदेश, 1968 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–8)

1. कोई प्रत्याशी किसी राजनैतिक दल द्वारा घोषित प्रत्याशी तभी माना जायेगा जब–

   क– प्रत्याशी ने अपने नामांकन पत्र में ऐसा उद्घोषित किया हो।

   ख– अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित फार्म–बी आर0ओ0 के समक्ष नामांकन की अन्तिम तिथि को अपराह्न 03.00 बजे तक प्रस्तुत कर दिया गया हो।

   ग– नामांकन के अन्तिम तिथि को 03.00 बजे अपराह्न तक/पूर्व उक्त फार्म–ए में अधिकृत व्यक्ति (जिसने फार्म–बी जारी किया है) के वास्तविक नमूना हस्ताक्षर तथा नाम आर0ओ0 तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को संसूचित हो जाने चाहिए।

   घ– फार्म–ए तथा बी पर स्याही/डाट पेन से हस्ताक्षर होने चाहिए (फैक्स या फोटोकापी स्वीकार्य नहीं है)।

➢ **राजनैतिक दल द्वारा प्रत्याशी का प्रतिस्थापन** (प्रतीक आबंटन आदेश, 1968 का पैरा–13क)

यदि किसी राजनैतिक दल द्वारा एक से अधिक प्रत्याशी के पक्ष में फार्म–बी जारी किया गया है तथा किसी के पक्ष में जारी फार्म–बी को निरस्त करने की सूचना विधिवत नहीं दी गयी है तो ऐसी दशा में जिस प्रत्याशी का नामांकन सबसे पहले दाखिल किया गया है, उसे ही उक्त राजनैतिक दल द्वारा निर्गत फार्म–बी का प्रत्याशी माना जायेगा।

➢ चुनाव चिन्हों का पुनरीक्षण (निर्वा0 संचालन नियम, 1961 का नियम–10 (5))–

1. भारत निर्वाचन आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आर0ओ0 द्वारा प्रतीकों के आबंटन में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि प्रतीक आबंटन में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो भारत निर्वाचन आयोग प्रतीक आबंटन का पुनरीक्षण कर सकता है। आर0ओ0 को अत्यन्त सावधानी बरतनी चाहिए।
2. आयोग द्वारा उपरोक्तानुसार पुनरीक्षण के उपरान्त प्रारूप–7क में सूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी।
3. मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी को तीन दिन के अन्दर अद्यतन मतदाता सूची की एक प्रति मुफ्त में दी जायेंगी।

➢डाक–मत पत्र

डाक द्वारा मत डालने के लिए अर्ह मतदाता गण

(लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–60, लो0प्र0अधि0, 1950 की धारा–20, निर्वा0 संचा0 नियम–1961 के नियम–17, 18(क) और 27(ख))

- सेवारत मतदाता गण (अपनी पत्नियों सहित परन्तु पुत्र/पुत्री नहीं)– उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने परोक्षी मत (प्रॉक्सी वोटिंग) का विकल्प दिया है।
- विशिष्ट मतदाता गण (अपनी पत्नियों सहित परन्तु पुत्र/पुत्री नहीं)–

  जो घोषित पद धारण करते हैं (ऐसे घोषित पदों की सूची लो0प्र0अधि0, 1950 की धारा–20 के तलांश/फुटनोट पर अंकित टिप्पणी में दी गयी है)।
- ऐसे मतदाता जो निवारक अभिरक्षा में निरूद्ध हों।

- ऐसे मतदाता जो निर्वाचन ड्यूटी पर हों– उनमें ऐसे पुलिस–कर्मी, होमगार्ड, वाहन चालक/हेल्पर/क्लीनर आदि सम्मिलित हैं जो वास्तव में अधियाचित वाहनों के लिए नियोजित किये गये हैं।
- अधिसूचित मतदाता।

➢मत पत्रों की एकसमान सामान्य रूपरेखा–

(निर्वा0 संचा0 नियम–1961 का नियम–20, 23 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10 का पैरा–4.1)

- समस्त श्रेणियों के डाक मतपत्रों की रूपरेखा एकसमान होगी।
- इसके शीर्ष भाग पर प्रतिपर्ण संलग्न होगा।
- डाक मतपत्र की रूपरेखा, प्रारूप और भाषा के सम्बन्ध में, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश, आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 के पैरा–4 में दिया गया है।
- विधान सभा निर्वाचनों में डाक मतपत्र का कागज गुलाबी रंग का होगा।

- डाक मतपत्र का आकार 3''से 4'' तक होगी (जैसा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है)।
- एकल स्तम्भ– सामान्तया एक स्तम्भ में उम्मीदवारों की संख्या 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परन्तु किसी भी दशा में यह 15 से अधिक कदापि नहीं होगी।
  - प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार स्तम्भ/कालम बढ़ाये जा सकते हैं। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 1'' चौड़ा–स्पेस होना चाहिए।
  - यदि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या प्रत्येक स्तम्भ/कालम में प्रत्याशियों की संख्या से पूर्णतया विभाज्य नहीं है तो मतपत्र के दाहिने छोर के स्तम्भ/कालम में रिक्त स्थानों को पूर्णतः काला (शेडेड) कर दिया जायेगा।

- उम्मीदवारों के नामों को 03 श्रेणियों में उसी क्रम में रखा जायेगा जिस क्रम में वे प्रारूप–7क की सूची में हैं। श्रेणियों के शीर्षक मतपत्रों में अंकित नहीं होने चाहिए।
- चुनाव चिन्हों को मुद्रित नहीं किया जायेगा।
- उम्मीदवार के नाम के साथ दलीय सम्बद्धता, यदि कोई हो, का भी मुद्रण किया जायेगा।
- समस्त राजनैतिक दलों (मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त दोनों) द्वारा प्रस्तुत किये गये उम्मीदवारों के पक्ष में दलीय सम्बद्धता को दर्शाया जायेगा।
- निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए शब्द ''निर्दलीय'' मुद्रित किया जायेगा।
- डाक–मतपत्र का नमूना आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अनुलग्नक–**XXV** में दिया गया है।

➢ डाक–मतपत्र की भाषा (निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम–22 और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–4)

- प्रतिपर्ण केवल अंग्रेजी में होगा।
- उम्मीदवार का विवरण और दलीय सम्बद्धता का विवरण, दोनों हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।
- हिन्दी में विवरण अंग्रेजी के ऊपर होगा।
- मतपत्र में निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन का विवरण केवल अंग्रेजी में होगा।

➢ डाक–मतपत्रों का मुद्रण (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–2,3,4,5 और 10)

- प्रथम चरण में, सेवारत मतदाताओं के लिए मतपत्रों के मुद्रण की कार्यवाही को नाम–वापसी के 24 घण्टे के भीतर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।
- दूसरे चरण में, अन्य श्रेणियों के मतदाताओं के लिए इनका मुद्रण नाम–वापसी के 72 घण्टे के अन्दर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करें कि डाक मतपत्र तथा उसके प्रतिपर्ण पर अंकित क्रम संख्या एकसमान है।

➢ मतपत्रों का सेवारत मतदाताओं को प्रेषण (निर्वा0 संचा0 नियम–1961 का नियम–23 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–2,5,6 और 8)

- समय का विशेष ध्यान रखते हुए आपको अग्रिम रूप से पूर्व में ही निम्न तैयारियां कर लेनी चाहिए–

1. प्रपत्र 13–क (अर्थात् घोषणा पत्र) पहले से तैयार रखिए।
2. मतदाता का पता युक्त लिफाफा (प्रपत्र 13–ख तथा 13–ग) तैयार करें।
3. प्रपत्र 13–घ (अनुदेश) को पूरा कीजिए।
4. निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और मतदाता की क्रम संख्या को प्रतिपर्ण पर दर्ज करें।
5. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति पर मतदाता की प्रविष्टि के सापेक्ष ''पी0 बी0'' अंकित होगा।
6. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति पर डाक मतपत्रों की संख्या का उल्लेख नहीं किया जायेगा।
7. डाक मतपत्र वाले लिफाफे (प्रपत्र 13–ख) पर, मतपत्र की संख्या सही–सही लिखी जायेगी।

- प्रपत्र 13–घ के भाग–2 में समय और दिनांक भरिए।
- विधान सभा निर्वाचन हेतु प्रपत्र 13–ख और 13–ग वाले लिफाफे गुलाबी रंग के होंगे।
- इस प्रकार तैयार किये गये प्रपत्र 13–ख एवं 13–ग, प्रपत्र 13–क और 13–घ को अपेक्षाकृत एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखा जायेगा जिस पर सेवारत मतदाता का पता अंकित होगा।
- उपर्युक्त बड़े लिफाफे पर समुचित डाक टिकट चिपकाया जाना चाहिए।
- पति और पत्नी के मामले में भी प्रत्येक मतदाता के लिए पृथक–पृथक लिफाफा आवश्यक होगा।
- लिफाफों पर अंकित पता और विवरणों का सुस्पष्ट एवं पूर्ण होना आवश्यक है।

- प्रत्येक अभिलेख कार्यालय से सम्बद्ध सेवारत मतदाताओं को भेजे जाने वाले सभी बड़े लिफाफों को एक पैकेट के अन्दर रखा जायेगा और उक्त पैकेट को अभिलेख कार्यालय को यू0पी0सी0 द्वारा प्रेषित किया जायेगा।
- जिला स्तर पर, प्रेषण के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाय।
- विदेश में सेवारत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्रों का प्रेषण साधारण हवाई डाक सेवा द्वारा किया जायेगा।
- महिला मतदाता होने की स्थिति में, प्रपत्र 13–ग वाले लिफाफे पर ''महिला'' लिखिए।
- नाम–वापसी के 48 घण्टे के भीतर प्रेषण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

- ऐसे मतदाताओं, जिन्हें डाक मतपत्र जारी किया गया है, को मतदान केन्द्र पर मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- ऐसे सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र जारी नहीं किया जायेगा, जिन्होंने परोक्षी मतदान (प्रॉक्सी वोटिंग) का विकल्प दिया हो।

➢ प्रतिपर्ण तथा मतदाता सूची की चिन्हित प्रति को सील किया जाना :–

- जारी किये गये डाक मतपत्रों के प्रतिपर्णों को आर0ओ0 द्वारा किसी पैकेट में सील कर दिया जायेगा।
- सेवारत मतदाताओं से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली को भी किसी पृथक पैकेट में सील कर दिया जायेगा।
- वाचन दिनांक सहित विषय वस्तु के संक्षिप्त वर्णन का उल्लेख इन दोनों पैकटों पर किया जायेगा और इन्हें आर0ओ0 की पूर्ण अभिरक्षा में रखा जायेगा जिन्हें परिणाम घोषित किये जाने के पश्चात पूर्ण अभिरक्षा के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

➢ डाक द्वारा मत दिये जाने के सम्बन्ध में मतदाताओं द्वारा सूचित किया जाना

(निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 के नियम–19 और 20 (1) तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

- मतदान से कम से कम दस दिन पूर्व प्रपत्र–12 में विशेष मतदाता द्वारा (नियम–19) सूचना दी जायेगी।

- निर्वाचन ड्यूटी हेतु नियुक्ति पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि सहित प्रपत्र–12 में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात किसी निर्वाचक द्वारा (नियम 20(1)) सूचना दी जायेगी।

➢ निवारक अभिरक्षा में निरूद्ध मतदाताओं द्वारा सूचित किया जाना (निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–21 और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

– सरकार निर्वाचन की अधिसूचना जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात 15 दिनों के अन्दर आर0ओ0 को समुचित रूप में निम्नलिखित के सम्बन्ध में सूचित करेगी :–

1. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसे समस्त मतदाताओं का नाम और पता।
2. सम्बन्धित स्थान, जहां उन्हें अवधारित किया जा रहा हो।
3. मतदाता स्वयं भी सूचना दे सकता है।

– मतदाता भी आर0ओ0 को सूचना भेज सकता है जिसमें नाम, पता, नामावली की भाग संख्या एवं क्रम संख्या और बन्दी स्थल को विनिर्दिष्ट कर सकता है।

– किसी मामले में, डाक मतपत्र प्रेषित किये जाने के पूर्व, इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि नाम मतदाता सूची में दर्ज हो और उक्त व्यक्ति निवारक नजरबन्दी में धारित हो।

➢अन्य श्रेणियों के लिए डाक मतपत्रों का जारी किया जाना

(निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–23 एवं आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

– डाक मतपत्र जारी करने से पूर्व आर0 ओ0 के हस्ताक्षर की अनुकृति को डाक मतपत्र के पृष्ठ भाग पर दो बार स्टाम्पित किया जायेगा।

– डाक मतपत्र, पंजीकृत डाक द्वारा विशेष मतदाताओं, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात मतदाताओं (प्रपत्र–12 में प्रार्थना पत्र के आधार पर), और निवारक नजरबन्दी के अधीन वाले मतदाताओं को प्रेषित किये जायेंगे, जिसमें निम्नलिखित पत्रक संलग्न होंगे :–

1. प्रपत्र 13–क में घोषणा पत्र।
2. प्रपत्र 13–ख में एक लिफाफा (जिसमें डाक मतपत्र अन्तर्विष्ट हो)।
3. प्रपत्र 13–ग में आर0ओ0 को सम्बोधित एक लिफाफा (बिना डाक टिकट के)।
4. प्रपत्र–13–घ में मतदाता के दिशा–निर्देशन के लिए अनुदेश।

- ((क), (ख), (ग) और (घ) में स्थित) उपर्युक्त दस्तावेजों को अपेक्षाकृत बड़े लिफाफे में रखा जायेगा। इस लिफाफे पर समुचित रूप में पता लिखा होना चाहिए और डाक टिकट लगा होना चाहिए।
- डाक मतपत्रों को किसी विशेष मतदाता या किसी निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात निर्वाचक (मतदाता) को डाक द्वारा प्रेषित किये जाने के स्थान पर वैयक्तिक रूप से प्रेषित किया जा सकता है।
- डाक मतपत्रों को यथा सम्भव शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।

➢ निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र (ई0डी0सी0) का जारी किया जाना

(निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम 22(2) और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

- प्रपत्र 12–ख में अंकित ''निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्र'' निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात लोक सेवकों को न कि मतदान अभिकर्ता को प्रदान किया जा सकता है।
- केवल प्रपत्र–12 क में विद्यमान प्रार्थना पत्र पर ''ई0डी0सी0'' जारी होगी।
- ''ई0डी0सी0'' धारकों को डाक मतपत्र जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
- विधान सभा निर्वाचन के मामलों में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात समस्त व्यक्तियों को ''ई0डी0सी0'' की अपेक्षा पी0बी0 के लिए आवेदन करना चाहिए– जिसका कारण यह है कि कर्मचारी वर्ग को अपने निर्वाचन क्षेत्र/विधान सभा क्षेत्र के बाहर की ड्यूटी पर यादृच्छिकरण प्रक्रिया के उपरान्त लगाया जाता है। यह भी कि कर्मचारियों को ड्यूटी स्थल के सम्बन्ध में जानकारी अन्तिम क्षण में ही हो पाती है।
- विधान सभा निर्वाचनों में ''ई0डी0सी0'' लागू नहीं होती है, क्योंकि मतदान पदाधिकारी, उसी निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित नहीं होते हैं।

➢ **डाक मतपत्रों और निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण–पत्रों (ई0डी0सी0) को अभिलिखित किया जाना–** (निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम–20 (2), 23 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)।

- मतदाता सूची की कार्य–प्रतिलिपि में ऐसे मतदाता के नाम के समक्ष ''ई0डी0सी0'' या ''पी0बी0'' अंकित होगा **(तभी मतदाता सूची की यह प्रति, चिन्हित प्रति या मार्क्ड कापी कही जाती है)**।
- प्रतिपर्णों को किसी पृथक पैकेट में सील किया जायेगा और उन्हें पूर्ण अभिरक्षा में रखा जायेगा।
- समस्त मामलों में ''पी0बी0'' या ''ई0डी0सी0'' का अंकन किये जाने के पश्चात मतदाता सूची की चिन्हित प्रतिलिपि को सील कर दिया जायेगा और इसे सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र पर प्रयोग किये जाने के लिए प्रेषित कर दिया जायेगा।
- नामावली के चिन्हित प्रति पर डाक मतपत्रों की क्रम संख्या को उल्लिखित नहीं किया जायेगा।

➢डाक मतपत्रों का रजिस्टर–

- निर्वाचन ड्यूटी के व्यक्तियों के लिए बनायी जाने वाली एक पी0बी0 पंजी अनुरक्षित की जायेगी और तदनुसार प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
- समस्त श्रेणियों के डाक मतपत्रों को जारी करने के लिए और प्राप्त डाक मतपत्रों के अभिलेख को सुरक्षित रखने के लिए पृथक पंजी बनायी जायेगी।

➢ द्वितीय मतपत्र के सेटों की आपूर्ति किया जाना (निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–26 और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

- सम्बन्धित कागजातों सहित द्वितीय डाक सम्बन्धी प्रपत्रों को केवल तभी जारी किया जायेगा जब –

  क– उन्हें उपलब्ध कराये बिना वापस कर दिया गया हो।

  ख– यदि मतदाता ने इन्हें या किसी अन्य कागजात को बिना ध्यान दिये हुए इस रूप में नष्ट कर दिया हो कि इसका प्रयोग नहीं किया जा सके।

- आर0ओ0 इस प्रकार लौटाये गये नष्ट हुए मतपत्रों को रद्द कर देगा। उन्हें किसी पैकेट में सील कर देगा तथा डाक मतपत्र क्रमांक को लिख लेगा।

➢ डाक मतपत्रों को वापस किया जाना (निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम –27 और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–10)

- प्रत्येक दिन किसी पदाभिहित अधिकारी को बॉक्स में स्थित समस्त विषय वस्तुओं को निकालना होगा तथा वह रजिस्टर में तद्विषयक आवश्यक प्रविष्टियाँ करेगा और डाक मतपत्रों के सील–बन्द लिफाफों तथा रजिस्टर को ताले में बन्द रखेगा। रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों पर, आर0ओ0 / ए0आर0ओ0 को प्रतिदिन प्रतिहस्ताक्षर करना होगा।

- डाक मतपत्रों को मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व वापस करना होगा। ऐसे मतपत्रों को समय से प्राप्त हुआ माना जायेगा।

- विलम्ब से अर्थात् मतगणना प्रारम्भ होने के पश्चात प्राप्त हुए डाक मतपत्रों की गणना नहीं की जायेगी और उन्हें अस्वीकृत किया जाना आवश्यक होगा। प्राप्ति के दिनांक और समय का अंकन, लिफाफों पर किया जायेगा। इस प्रकार की प्रविष्टि रजिस्टर में भी करनी होगी। इस प्रकार अस्वीकृत किये गये डाक मतपत्रों को प्रपत्र–20 और 21ङ में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- डाक एवं तार विभाग के साथ समन्वय।
- डाक मतपत्रों की त्वरित वापसी को सुगम बनाया जायेगा और सुरक्षित तालों सहित एक विशेष बॉक्स आर0ओ0 के कार्यालय में रखा जायेगा।

➢ मतदान करने के लिए प्रशिक्षित करना–

- प्रथम प्रशिक्षण सत्र के दौरान मत देने का अधिकार और उसकी रीति के सम्बन्ध में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों को शिक्षित करना (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–10)।

➢ ई0वी0एम0 हेतु मतपत्र का प्रारूप और उसकी भाषा (निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम 49–ख और आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–25, भा0नि0आ0 के पत्र संख्या–51/8/99/ पीएलएन–II दिनांक 25.08.1999)

- उम्मीदवारों के नाम हिन्दी में और निर्वाचन क्षेत्र का नाम अंग्रेजी में।
- उम्मीदवारों के नामों को उसी क्रम में रखा जायेगा जैसा कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची (प्रपत्र–7क) में 3 श्रेणियों में अंकित है। श्रेणियों के शीर्षकों को मतपत्रों में मुद्रित नहीं किया जायेगा।
- आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 के पैरा–25 में दिये गये निर्देशों के अनुसार, मतपत्रों का प्रारूप और रूपरेखा होगी।
- विधान सभा निर्वाचन में मतपत्र गुलाबी रंग का तथा लोक सभा निर्वाचन में सफेद रंग का होगा।

➢ मतपत्रों की आवश्यकता का निर्धारण (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–27 और 28)

– मतपत्रों की आवश्यकता का निर्धारण निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा–

- मतदेय स्थलों की संख्या +12 प्रतिशत आरक्षित।
- निविदत्त मतपत्रों के लिए प्रति मतदेय स्थल 20 मतपत्र।
- बिन्दु (1 एवं 2) के अतिरिक्त, मतपत्रों को बैलेट यूनिट में रखते समय विरूपित और त्रुटिपूर्ण मतपत्र होने पर उपर्युक्त मतपत्रों की संख्या का दस प्रतिशत अतिरिक्त मतपत्रों का मुद्रण किया जायेगा।

➢ निविदत्त मतपत्र (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–10 का पैरा–27)

- निविदत्त मतपत्रों की रूपरेखा और प्रारूप वही होंगे जैसा कि ई0वी0एम0 के बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होने वाले मतपत्रों की रूपरेखा और प्रारूप है। शब्द ''निविदत्त मतपत्र'' मतपत्र के पृष्ठ भाग पर स्टाम्पित किये जायेंगे।

➢ निर्वावन क्षेत्र–स्तरीय स्थायी समिति के साथ बैठक (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–11 का पैरा–4)

- राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की जायेगी– व्यवस्थाओं, आदर्श आचार संहिता, कानून व्यवस्था के लिए समन्वय आदि के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया जायेगा तथा तत्सम्बन्ध में कार्यवृत्त तैयार किया जायेगा।

➢ नकली /डमी मतपत्र (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–11 का पैरा–7)

- वोटरों को शिक्षित करने के लिए यदि कोई उम्मीदवार बैलेट यूनिट में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र से मिलता–जुलता कोई नकली/डमी मतपत्र छपवाता है जिस पर उसका नाम तथा चुनाव–चिन्ह अंकित हो तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु–
- इसे वास्तविक मतपत्र के समान रंग तथा आकार में नहीं होना चाहिए।
- इस पर अन्य उम्मीदवारों के वास्तविक नाम और चुनाव चिन्ह अंकित नहीं होने चाहिए।

➢ नकली बैलेट यूनिट (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–11 का पैरा–8)

- वोटरों को शिक्षित करने के लिए यदि कोई उम्मीदवार/राजनैतिक दल नकली बैलेट यूनिट बनाना चाहता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु शर्त यह है कि–
- यह लकड़ी, प्लास्टिक यर प्लाईबोर्ड बाक्सों का बना हुआ हो, जिसका आकार वास्तविक बैलेट यूनिट का आधा हो सकता है और उक्त यूनिट को भूरे, पीले या धूसर रंग में रंगा जा सकता है।

➢ गैर सरकारी पहचान पर्ची (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–11 का पैरा–9)

- राजनैतिक दल/उम्मीदवार पहचान पर्चियां जारी कर सकते है जिनमें निम्नलिखित बातें अंकित होंगी :–

  क– निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाता का नाम और क्रमांक

  ख– नामावली की भाग संख्या

  ग– मतदेय स्थल का नाम और क्रम संख्या – यह, सफेद कागज पर होना चाहिए और इसमें उम्मीदवार या दल का नाम तथा उसका चुनाव चिन्ह नहीं होना चाहिए। किसी दल या उम्मीदवार के लिए मत डालने हेतु कोई नारा/प्रबोधन नहीं होने चाहिए।

➢ **आयोग द्वारा प्राविधानित ''मतदाता पर्ची''** (भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2011/ईपीएस दिनांक 18 फरवरी, 2011 तथा 19 मार्च, 2011)–

- नियत समय सीमा के अन्दर, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त मतदाताओं को बी0एल0ओ0 के माध्यम से ''मतदाता पर्ची'' का वितरण सुनिश्चित किया जाय। वितरण का पर्याप्त अनुश्रवण किया जाय तथा रिकार्ड रखा जाय।

- कोई मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र अथवा उक्त ''मतदाता पर्ची'' प्रस्तुत कर/दिखा कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा।

➢ पम्पलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण पर प्रतिबन्ध (भारत निर्वाचन आयोग पत्र संख्या–3/9 (ई0एस0008)94–जेएस0II/5196, दिनांक 02.09.1994, संख्या–3/9/2004/जे0एस0II दिनांक– 24.08.2004 एवं संख्या–3/9/ 2007/जे0एस0–II दिनांक 16.10.2007 एवं पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2012/ईपीएस दिनांक 20 जनवरी, 2012 और लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–127क)

- यह सुनिश्चित कीजिए कि मुद्रक और प्रकाशक, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–127क के उपबन्धों और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं।
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा किये जाने के तीन दिन के अन्दर समस्त मुद्रणालयों को लिखित रूप में सूचना प्रेषित की जायेगी जिससे कि वे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–127क के अधीन यथाअपेक्षित सूचना और मुद्रित सामग्री उपलब्ध करा सकें।

- प्रिन्ट मीडिया में किसी राजनैतिक दल/उम्मीदवार के पक्ष में/उसके विरूद्ध प्रतिनिधि विज्ञापन – ऐसे विज्ञापन में अन्तर्विष्ट व्यय को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 77(1) से 171 ज के अधीन निर्वाचन व्यय–लेखा में जोड़ दिया जायेगा और साथ ही साथ उम्मीदवार के प्राधिकार के बिना उक्त प्रकार का व्यय किया जाना निषिद्ध है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) और 127क, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ज के उपबन्धों और आयोग के निदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किये जाने की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जायेगी।
- प्रचार सामग्री जैसे– कार्डबोर्ड, बैज, कागज की टोपियां, मोबाइल–स्टीकर्स तथा चुनावी स्टीकर्स धारा–127क की परिधि में नहीं आते हैं। इसलिए धारा–127क के उल्लंघन के लिए इन चुनाव सामग्रियों को जब्त नहीं किया जायेगा (आयोग के पत्र संख्या–464/आईएनएसटी/2012/ईपीएस दिनांक 20 जनवरी, 2012)।

➢ उम्मीदवारों के बहुतायत में कमी लाने के उपाय (भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या– 3/ई0आर0/94/जे0एस0II, दिनांक 27.04.1994, पत्र संख्या–3/ई0आर0/ई0एस0ओ011/94/जेसएस0II दिनांक 07.09.1994 और दिनांक 07.12.1994)

- उम्मीदवार कतिपय सुविधाओं का दुरूपयोग कर सकते हैं। ऐसे दुरूपयोग को रोका जाना चाहिए।
- यदि कोई उम्मीदवार अपनी सेवानिवृत्तिक सुविधाओं यथा– व्यक्तिगत सुरक्षा, वाहन परमिट आदि की घोषणा करता है तो उन्हें वापस ले लिया जाना चाहिए।
- यदि उम्मीदवार/उसके अभिकर्ताओं द्वारा प्राधिकृत किसी वाहन का प्रयोग, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो तो उक्त वाहन को मतदान होने तक के लिए जब्त कर लिया जायेगा।

- मतदान केन्द्रों पर निर्वाचन अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था निम्नलिखित अधिमान क्रम में किया जायेगा :–

  क– राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार।

  ख– मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों के उम्मीदवार।

  ग– विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित चुनाव–चिन्हों का प्रयोग करने के लिए अनुमति प्राप्त, अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों के उम्मीदवार।

  घ– पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार।

  ङ– निर्दलीय उम्मीदवार।

- प्रत्येक मतगणना पटल पर मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सीटों की व्यवस्था भी उपर्युक्त अधिमान क्रम में किया जायेगा।
- किसी उम्मीदवार को उपलब्ध कराये गये सुरक्षाकर्मियों का उपयोग किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा नहीं किया जायेगा। दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में सुरक्षा वापस ले ली जायेगी।
- तथापि, ऐसी सुविधाओं को वापस नहीं लिया जायेगा जो विधि के अधीन उपलब्ध हैं यथा निर्वाचन/मतदान/मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति किया जाना।

➢ ई0वी0एम0 को तैयार किया जाना/सौंपा जाना या ई0वी0एम0 की तैयारी/कमीशनिंग (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–12 तथा भा0नि0आ0 के पत्र संख्या–51/8/2008–ई एम एस (आई एन एस टी–1) दिनांक 11.08.2008)–

- जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर ई0वी0एम0 की आपूर्ति होगी तथा इसी स्तर पर ई0वी0एम0 की चेकिंग तथा **प्रथम यादृच्छीकरण** होगा, अर्थात् जिले में विधान सभावार ई0वी0एम0 का निर्धारण होगा।
- नाम–वापसी की अन्तिम तिथि के यथा सम्भव तुरन्त बाद उपरोक्तानुसार प्रत्येक विधान सभा के लिए तय की गयी ई0वी0एम0 को मतदान के लिए तैयार किया जाना होगा।
- उक्त तैयारी के एक सप्ताह पूर्व प्रत्याशियों/चुनाव अभिकर्ताओं को लिखित रूप में ई0वी0एम0 की तैयारी की तिथि/समय/स्थल की सूचना दी जाय।
- समय बचाने के लिए, पूर्व में ही रजिस्टर, एड्रेस–टैग आदि की व्यवस्था कर ली जाय।
- ई0वी0एम0 की तैयारी पर्याप्त वीडियो ग्राफी में तथा प्रेक्षकगण, प्रत्याशियों/चुनाव अभिकर्ताओं की उपस्थिति में की जानी है।

- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 51/8/7/2010– ई एम एस दिनांक 03 अप्रैल, 2011– ई0 वी0 एम0 के **द्वितीय यादृच्छीकरण** के सम्बन्ध में–

  इस प्रक्रिया में किसी विधान सभा क्षेत्र में ई0वी0एम0 का मतदेय स्थलवार आबंटन होता है। ई0वी0एम0 की तैयारी की तिथि को या उससे पूर्व ई0वी0एम0 के द्वितीय यादृच्छीकरण की प्रक्रिया सम्पन्न किया जाना है।
- समय के सदुपयोग तथा सुविधा की दृष्टि से ई0वी0एम0 की तैयारी की तिथि को ही, ई0वी0एम तैयार करने से पूर्व द्वितीय यादृच्छीकरण की प्रक्रिया भी कर लेना चाहिए। इससे प्रत्याशियों /चुनाव अभिकर्ताओं को दो बार नहीं आना पड़ेगा और आपके लिए भी सुविधाजनक होगा।
- ई0वी0एम0 को तैयार कर सीलिंग की प्रक्रिया आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अनुलग्नक– xxx में दी गयी है।
- ई0वी0एम0 की तैयारी के लिए सबसे पहले बैलेट यूनिट को तैयार करें।
- बैलेट यूनिट में मतपत्र को लगाने के पहले मतपत्र के पृष्ठ भाग पर आर0ओ0 के हस्ताक्षर अथवा हस्ताक्षर की स्टाम्पित प्रतिकृति होगी।

- मतपत्र को बैलेट यूनिट के खांचे में भलीभांति लगाया जायेगा ताकि मतपत्र उलटा न लगे और प्रत्याशियों के खाने/स्पेस बैलेट यूनिट के पैनल पर बने विभाजकों के अनुरूप हों।
- सीलिंग के समय एड्रेस–टैग पर आर0ओ0 की मुहर के साथ प्रत्याशियों/चुनावा अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करायें।
- द्वितीय यादृच्छीकरण तथा ई0वी0एम0 की तैयारी के बाद मतदेय स्थलवार आबंटित/चिन्हित कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलेट यूनिट की सूची (नम्बरों सहित) व आरक्षित सी0यू0/बी0यू0 की सूची प्रत्याशियों / चुनाव अभिकर्ताओं को दी जानी चाहिए।
- ध्यान रखें कि इस स्तर पर सीलिंग की प्रक्रिया में आयोग द्वारा आर0ओ0 को दी गयी ''सीक्रेट सील'' का प्रयोग न करें, बल्कि आर0ओ0 अपनी मुहर/सील का इस्तेमाल करें।
- ''सीक्रेट सील'' का प्रयोग केवल, मतगणना के बाद ई0वी0एम0 तथा अभिलेखों को सील करने के लिए किया जाता है।
- मतदान के दौरान यदि बी0यू0 के ''कैण्डीडेट लैम्प'' को लेकर कोई शिकायत हो तो ई0वी0एम0 (बी0यू0, सी0यू0 दोनों) को तुरन्त बदलना होगा तथा आयोग को सूचना देनी होगी (पत्र सं0 51/8/16/8/2009–ईएमएस/दि0 29 अप्रैल, 2011)।

- आर0ओ0 सीलिंग के दौरान नयी बैटरी का प्रयोग करें।
- तैयार ई0वी0एम0 को यदृच्छया चेक करें तथा मॉक पोल करके भी चेक कर लें कि ई0वी0एम0 मतदान के लिए पूर्णतया क्रियाशील है।
- जो अधिकारी/कर्मचारी ई0वी0एम0 की तैयारी में लगे हैं, ई0वी0एम0 तैयार करने के बाद उन्हें इसके ठीक प्रकार से क्रियाशील होने का एक प्रमाण पत्र भी देना होगा (आयोग के पत्र सं0– 464/आईएनएसटी/2008 दिनांक 21.01.2009)।
- **मतदान के दिन, मतदान प्रारम्भ होने के पश्चात यदि कोई ई0वी0एम0 बदली जाती है तो बी0यू0 तथा सी0यू0 दोनो बदली जायेगी। बदली जाने वाली तथा नयी दोनों ई0वी0एम0 का विवरण कारण सहित अभिलिखित किया जायेगा, आयोग को सूचित किया जायेगा तथा प्रत्याशियों/चुनाव/पोलिंग अभिकर्ताओं को सूचित कर रिसीबिंग ले ली जायेगी। मतदान के दिन, यदि मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व कोई कण्ट्रोल यूनिट खराब हो जाती है तो सिर्फ सी0यू0 को ही बदलेंगे न कि बी0यू0 को।**
- ट्रेनिंग के लिए आरक्षित तथा प्रयोग में लायी गयी ई0वी0एम0 को मतदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, बल्कि पर्याप्त लेखा रखते हुए अलग से सुरक्षित रखवा दिया जायेगा।

➢ पोलिंग पार्टियों को ई0वी0एम0 का दिया जाना व मतदान के बाद प्राप्त करना –

- पार्टी–प्रस्थान स्थल पर आवश्यक आधारभूत सुविधायें जैसे– टेण्ट, दरियां, कुर्सिया, पेयजल की व्यवस्था, पर्याप्त मेंजे, साउण्ड सिस्टम, डिस्प्ले–बोर्ड आदि।
- मतदेय स्थल के लिए आबंटित बी0यू0, सी0यू0 तथा मतदान सामग्री सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी को देकर प्राप्त करायी जायेगी। पृथक से रजिस्टर बना लिया जाय।
- पोलिंग स्टेशनवार मेजें तथा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा लें तथा द्रष्टव्य स्थलों पर डिस्प्ले–बोर्ड पोलिंग पार्टियों तथा सेक्टर/जोनल अधिकारियों की सुविधा के लिए लगवा दें।
- मतदान के बाद प्राप्ति के समय भी उपरोक्त व्यवस्थाओं के तहत कार्यवाही करें। उचित यह होगा कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जिन मेजों पर पार्टी–रवानगी के समय लगायी गयी थी, उन्हीं कर्मचारियों की ड्यूटी ठीक उसी प्रकार उन्हीं मेजों पर मतदान के बाद प्राप्ति के समय लगायें। यह भी कि किस कर्मचारी को क्या देना और प्राप्त करना है।

➢मतगणना

(निर्वा0 संचा0 नियम, 1961 का नियम 66क सपठित निर्वाचन संचालन (संशोधन) नियम 1992 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय –XIV, भा0नि0आ0 के पत्र संख्या–470टी एन–एल ए/2011/एस एस–। दिनांक 05.05.2011 तथा 06.05.2011)–

- मतगणना आर0ओ0 द्वारा की सम्पादित की जायेगी तथा ए0आर0 ओ0 मतगणना में सहयोग/पर्यवेक्षण करेंगे।
- वोटिंग मशीन के द्वारा डाले गये सभी मत वैध हैं। अर्थात् कोई मत अवैध या अस्वीकृत नहीं होगा।
- मतगणना स्थल, तिथि तथा समय का पूर्वानुमोदन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया होना चाहिए।
- मतगणना स्थल का चयन करते समय सुसंगत बिन्दुओं यथा– सुरक्षा, पर्याप्त स्थान, आधारभूत सुविधायें, कानून–व्यवस्था आदि का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।

➢ प्रत्याशियों को मतगणना तिथि, समय तथा स्थल के सम्बन्ध में सूचित करना –

- आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका में दिये गये अनुलग्नक के अनुसार सभी प्रत्याशियों अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता को उक्त से सम्बन्धित सूचना/नोटिस प्राप्त करायी जायेगी।

➢ मतगणना केन्द्र/स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था–

- मतदान के बाद ई0वी0एम0 तथा आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने का स्थल तथा मतगणना स्थल एक ही होना चाहिए।
- ई0वी0एम0 के लिए स्ट्रांग रूम तथा मतगणना केन्द्र एक ही कैम्पस में होने चाहिए।
- मतगणना के लिए, बहुत बड़े कमरे/हाल को अस्थायी रूप से सख्त–फ्रेम द्वारा आवश्यक भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। प्रत्येक हॉल/कक्ष में प्रवेश तथा निकास की समुचित व्यवस्था होगी।
- एक मतगणना कक्ष में एक ही विधान सभा क्षेत्र की गणना होगी। एक कक्ष से दूसरे कक्ष में अन्दर ही अन्दर विचरण की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि एक कक्ष से बाहर आकर ही दूसरे कक्ष में प्रवेश किया जा सकेगा।

- मतगणना आर0ओ0 मुख्यालय पर होती है। यदि एक विधान सभा क्षेत्र के कुछ मतदेय स्थल किसी अन्य जिले या क्षेत्र में पड़ते हों तो ऐसे मतदेय स्थलों पर पड़े मतों की गणना उक्त विधान सभा के आर0ओ0 मुख्यालय पर होगी।
- मतगणना केन्द्र मतगणना कर्मियों तथा मतगणना अभिकर्ताओं के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।
- प्रत्येक मतगणना केन्द्र की एक विशिष्ट संख्या निर्धारित होनी चाहिए तथा मतगणना केन्द्र के प्रत्येक मतगणना हॉल/कक्ष की भी अलग–अलग नियत होगी।
- मतगणना की योजना को पहले ही तैयार कर लिया जाना चाहिए तथा प्रत्येक टेबल पर आने वाले मतदेय स्थलों को भी पूर्व से ही चिन्हित/सूचीबद्ध कर लेना चाहिए।
- मतगणना केन्द्र का कक्षवार नक्शा/ले–आउट प्लान तथा विस्तृत मतगणना–योजना को प्रेक्षकगण को ससमय उपलब्ध करा देना चाहिए।

- मतगणना कक्ष/हॉल को मतगणना के तीन दिन पूर्व समुचित रूप से तैया कर लिया जाना चाहिए तथा इस आशय की आख्या नियत प्रारूप पर आर0ओ0 द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी को तथा सम्बन्धित प्रेक्षक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाय।
- मतगणना कार्मिकों/प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं को फोटो युक्त परिचय पत्र ससमय उपलब्ध करा दिया जाय।
- किसी अनधिकृत व्यक्ति का मतगणना स्थल में प्रवेश सर्वथा वर्जित है।

➢ सुरक्षा व्यवस्था

- त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था योजित की जायेगी।
- प्रथम/वाह्य स्तर पर भीड़ को नियन्त्रित करने तथा प्रवेश को नियन्त्रित करने के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी।
- द्वितीय स्तर पर राज्य पुलिस अधिकारी/कर्मियों द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।
- मतगणना टेबल्स/मेजों को पर्याप्त बैरिकेडिंग के अन्दर व्यवस्थित किया जायेगा।

➢ **मतगणना हॉल/कक्ष के अन्दर व्यवस्था–** (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय – XIV का पैरा–5.4 तथा अनुलग्नक–XXXVIII-A)

- एक हॉल/कक्ष में एक ही विधान सभा क्षेत्र की मतगणना होगी। यदि हॉल इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें एक विधान सभा क्षेत्र की गणना हो सके तो दो कक्ष/हॉल में एक विधान सभा क्षेत्र की मतगणना हो सकती है, बशर्ते इन कक्षों की क्षमता इतनी हो कि एक में आठ मतगणना टेबुलों से अधिक (आर0ओ0/ए0आर0ओ0 टेबुल को लेकर) न आ सके।
- एक हॉल/कक्ष में अधिकतम 14 मतगणना टेबुलें होंगी (आर0ओ0/ ए0आर0ओ0 टेबुल को छोड़कर)।
- बैरिकेडिंग की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि अभिकर्ता ई0वी0एम0 को देख सकें, परन्तु छू न सकें।
- विशेष परिस्थिति में, एक हॉल में 14 मतगणना टेबुलों की संख्या भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के उपरान्त ही बढ़ायी जा सकती है।
- मतगणना कक्ष/हॉल में आर0ओ0 की टेबल अलग से नियत स्थान पर होगी, जहां प्रत्याशी तथा उनके चुनाव अभिकर्ता भी बैठ सकें तथा गणना प्रक्रिया को देख सकें, परन्तु किसी भी दशा में उन्हें बैरीकेडिंग के अन्दर से मतगणना टेबल तक जाना अनुमन्य नहीं होगा।

- मतगणना कक्ष/हॉल में ही (किसी अन्य रूम या कक्ष में नहीं) आर0ओ0 टेबल के बगल में एक टेबल होगी, जिस पर कम्प्यूटर के माध्यम से प्रत्येक राउण्ड की गणना के आंकड़ों को संकलित किया जायेगा। इस टेबल पर माइक्रो आब्जर्वर के साथ एक सहायक मतगणना अभिकर्ता भी अनुमन्य होगा।
- प्रत्येक मतगणना टेबल पर एक वीडियो कैमरा/वेबकैम व्यवस्थित किया जायेगा जो कि ई0वी0एम0 के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित आकड़ों को मतगणना के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रिकार्ड करेगा। उक्त सभी वीडियो कैमरे/वेबकैम को एक इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले मॉनिटर/स्क्रीन से जोड़ दिया जायेगा, ताकि सभी मतगणना अभिकर्ताओं को आसानी से आंकड़े दिखायी दें।
- प्रत्येक मतगणना कक्ष/हॉल में एक बड़ा ब्लैक बोर्ड/मार्कर से लिखा जाने वाला व्हाइट बोर्ड लगा होना चाहिए, जिस पर पहले से ही प्रत्याशियों के नाम तथा राउण्ड का अंकन होना चाहिए, ताकि प्रत्येक राउण्ड की गणना के बाद प्रेक्षक का अनुमोदन लेकर गणना का अंकन किया जा सके।
- राउण्ड वाइज गणना के परिणाम की घोषणा के बाद परिणाम–शीट आर0ओ0 द्वारा तैयार कर प्रत्याशियों/चुनाव अभिकर्ताओं को दी जायेगी।

- मतगणना की समाप्ति के बाद, मतगणना की वीडियोग्राफी की सीडी आर0ओ0 द्वारा सभी प्रत्याशियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं को मुफ्त में दी जायेगी।

➢ मतगणना अभिकर्ता–

- समस्त निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से मतगणना प्रारम्भ होने के दिनांक से 3 दिन पूर्व के दिनांक को अपराह्न 5.00 बजे तक मतगणना अभिकर्ताओं की फोटोग्राफ सहित सूची प्राप्त हो जानी चाहिए। मतगणना अभिकर्ताओं को फोटो परिचय पत्र तत्काल जारी किया जाना चाहिए।
- मतगणना हॉल में केवल उतनी संख्या में मतगणना अभिकर्ताओं के प्रवेश की अनुमति होगी, जितनी संख्या में मतगणना मेज उपलब्ध हों और एक अतिरिक्त अभिकर्ता रिटर्निंग अधिकारियों की मेज पर बैठेगा।
- प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता को एक ऐसा बिल्ला धारण करना होगा जिस पर अभिकर्ता का नाम और मेज संख्या अंकित होगी।

➢ मतगणना सहायकों / पर्यवेक्षकों की नियुक्ति–

- यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी मतगणनाकर्मी की किसी उम्मीदवार या दल के साथ कोई संलिप्तता न हो।
- पर्यवेक्षक को राजपत्रित अधिकारी या समान स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
- एक मेज पर एक पर्यवेक्षक और एक सहायक का होना आवश्यक है।

➢ मतगणना प्राधिकारियों का यादृच्छीकरण–

- मतगणना पर्यवेक्षक / सहायक का चयन, यदृच्छया किया जाना आवश्यक होगा–

  उन्हें सौंपे गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और पटल के सम्बन्ध में जानकारी मतगणना के दिन मतगणना केन्द्र पर पहुँचने पर ही होती है।
- मतगणना के दिन प्रेक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यादृच्छीयकरण की प्रक्रिया प्रातः 05.00 बजे की जायेगी– दस प्रतिशत कर्मियों को आरक्षित रखा जायेगा। यादृच्छीकरण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होगी।

- यादृच्छीकरण प्रक्रिया के पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेक्षक द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित विधान सभा निर्वाचनवार प्रविष्टि सूची प्रातः 06.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी और नियंत्रण कक्ष को सौंप दी जायेगी।
- मतगणना पदाधिकारी पूर्वान्ह 06.00 बजे वहां पहुँच जायेंगे। तत्पश्चात उन्हें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और मतगणना पटल सौंपा जायेगा।
- अत्यावश्यकता की स्थिति में, जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आरक्षित कर्मियों से यादृच्छिक तौर पर स्थानापन्न की व्यवस्था भी प्रेक्षक से परामर्श करने के पश्चात की जायेगी।

➢ अतिरिक्त मतगणनाकर्मी–

- भारत सरकार/केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम इकाईयों के पदाधिकारी प्रत्येक पटल के स्थैतिक प्रेक्षक होंगे।
- वह किसी पूर्व मुद्रित प्रारूप में सी0यू0 संख्या, चक्र संख्या, मतदान केन्द्र संख्या और उम्मीदवार परिणाम को लिख लेगा। तत्पश्चात उक्त प्रारूप प्रेक्षक को सौंप दिया जायेगा।
- जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसे कार्मिकों को पहचान पत्र जारी करेगा– उनका यदृच्छया चयन प्रेक्षक द्वारा भी किया जायेगा।

➢ मतगणना प्रक्रिया –

- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा एक प्रारूप में चक्रवार विवरण तैयार किया जायेगा।
- आर0ओ0 और प्रेक्षक, प्रत्येक चक्र की गणना का सत्यापन करेंगे। प्रेक्षक के अनुमोदन के पश्चात आर0ओ0 प्रत्येक चक्र के परिणाम की घोषणा के साथ–साथ परिणाम की शीट प्रत्याशियों/चुनाव अभिकर्ताओं को उपलब्ध करायेंगे।
- समस्त पटलों पर पूर्ववर्ती चक्र की समाप्ति के पश्चात ही अगला चक्र प्रारम्भ किया जायेगा।
- मतगणना केन्द्र के अन्दर सूचना पट्ट पर पटलवार और चक्रवार परिणाम प्रदर्शित किया जायेगा तथा परिणाम की घोषणा सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली के माध्यम से की जायेगी।
- जेनेसिस साफ्टवेयर के माध्यम से आंकड़ों का प्रसार किया जायेगा।
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी को चक्रवार आंकड़े फैक्स के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।
- मतगणना के पश्चात, पूर्ण रूप से संकलित आकड़ों की सम्यक जांच परिणाम घोषित किये जाने के पूर्व की जायेगी।
- विहित प्रारूप में प्राधिकार पत्र प्राप्त किये बिना तथा भारत निर्वाचन आयोग व प्रेक्षक के अनुमोदन के बिना, रिटर्निंग अधिकारी परिणाम की घोषणा नहीं करेगा।
- परिणाम की घोषणा के बाद पूरी मतगणना प्रक्रिया की वीडियोंग्राफी की सीडी प्रत्याशियों अथवा उनके चुनाव अभिकर्ताओं को मुफ्त में दी जायेगी।

➢ यादृच्छिक रूप से पुनः मतगणना–

- प्रेक्षक द्वारा प्रत्येक चक्र में यादृच्छिक रूप से पृथक–पृथक और अतिरिक्त रूप में, चयनित की गयी दो–दो ई0वी0एम0 की पुनः मतगणना की जायेगी।

➢ मतगणना हॉल / कक्ष में प्रवेश

- निम्नलिखित व्यक्ति ही मतगणना केन्द्रों में प्रवेश कर सकते हैं :–

  क– मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक तथा आर0 ओ0 द्वारा नियुक्त अन्य कर्मी।

  ख– आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति।

  ग– निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात लोक सेवक।

  घ– उम्मीदवार, उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता।

- मंत्री / एम0पी0 / एम0एल0ए0 / एम0एल0सी0 या सुरक्षा कवच वाले अन्य व्यक्तियों को उम्मीदवार के सिवाय निर्वाचन अभिकर्ता या मतगणना अभिकर्ता, के रूप में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- मतगणना हॉल / कक्ष में माचिस, बीड़ी / सिगरेट, लाइटर, पानी की बोतल तथा कोई ज्वलनशील पदार्थ ले जाना वर्जित है।

- सेल्युर फोन, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट आदि की अनुमति, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दी जायेगी (भा0नि0आ0 के पत्र संख्या 464/आईएनएसटी/2008/ ईपीएस दिनांक 09.02.2009)।
- नगरपालिकाओं/जिला पंचायतों /विकासखण्ड स्तरीय पंचायतों के अध्यक्षों को भी मतगणना अभिकर्ता के रूप में अनुमति नहीं दी जायेगी।

➢ **डाक द्वारा प्राप्त मतपत्रों क गणना** (नियम–54क और भा0नि0आ0 के पत्र संख्या 470/2009/ईपीएस दिनांक 21.09.2009)–

- सर्वप्रथम डाक मतपत्रों को आर0ओ0 व्यवहृत करेंगे अर्थात डाक मतपत्रों की पहले गणना होगी– 30 मिनट के अन्तराल के पश्चात ई0वी0एम0 मतगणना भी प्रारम्भ हो सकती है।
- पृथक पटल और पृथक व्यवस्थायें की जानी चाहिए।
- डाक मतपत्र की गणना की व्यवस्था के लिए एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी को लगाया जायेगा।
- यदि विजय के लिए मतों का अन्तराल कुल प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या से कम है तो प्रेक्षक और आर0ओ0 की उपस्थिति में डाक मतपत्रों का पुनः सत्यान/गणना किया जाना आवश्यक होगा।

- ऐसी पुनः सत्यापन/पुनः मतगणना की कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी करायी जायेगी– वीडियो कैसेट/सी0डी0 को सील कर दिया जायेगा।
- गणना प्रारम्भ करने के लिए नियत समय के पश्चात प्राप्त प्रपत्र–13ग वाले लिफाफों को खोला नहीं जायेगा– उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा और अलग रूप से रखकर सील कर दिया जायेगा।
- प्रथम चरण में– प्रपत्र–12ग वाले लिफाफों को खोला जायेगा और प्रपत्र 13क वाले लिफाफों की संवीक्षा की जायेगी।
- द्वितीय चरण में प्रपत्र 13ख वाले लिफाफों को खोला जायेगा और मतपत्रों की संवीक्षा की जायेगी।
- निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त डाक मतपत्रों के परिणाम को प्रपत्र 20 में दशार्या जायेगा।

- लिफाफों को खोलकर क्रमवार उपरोक्त संवीक्षा के पश्चात आर0ओ0/ए0आर0ओ0 फार्म– 13बी में स्थित लिफाफे– ए को खोलकर डाक मतपत्र की संवीक्षा करेंगे।
- डाक मतपत्र निम्न आधारों पर अस्वीकृत होगा–

क– यदि कोई वोट न दर्ज हुआ हो।

ख– यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट दर्ज हो।

ग– यदि यह वास्तविक मतपत्र न हो।

घ– यदि मतपत्र इस प्रकार मुड़ा–तुड़ा हो/क्षतिग्रस्त हो जिससे इसे मूल डाक मतपत्र साबित करना असम्भव हो।

ङ– यदि डाक मतपत्र लिफाफे– बी में न भेजा गया हो।

च– यदि वोट इस प्रकार दर्ज हो कि यह स्पष्ट न हो पाये कि किस प्रत्याशी के पक्ष में दिया गया है।

छ– यदि मतपत्र में इस प्रकार का निशान या चिन्ह या हस्ताक्षर या लेखन हो जिससे मतदाता की पहचान हो रही हो।

- डाक मतपत्र पर किस तरह का निशान बनाकर वोट दर्ज किया जायेगा, ऐसा कोई कानूनी प्राविधान नहीं है।
- किसी उम्मीदवार के लिए उसके नाम के लिए आरक्षित स्पेस में बनाया गया कोई निशान या चिन्ह मत के रूप में स्वीकार किया जायेगा, शर्त यह है कि उक्त बनाये गये निशान से बिना किसी संदेह के यह स्पष्ट होता हो कि यह वोट अमुक उम्मीदवार को ही दिया गया है।
- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 51/8/7/2010–ईएमएस दिनांक 07 मई, 2011 को ध्यान से पढ़े– यदि पीठासीन अधिकारी मतदान की समाप्ति के बाद कण्ट्रोल यूनिट का **क्लोज बटन** दबाना भूल गया है–
  - ऐसी दशा में कण्ट्रोल यूनिट परिणाम नहीं दर्शायेगी। ऐसी दशा में इस कण्ट्रोल यूनिट को वापस बॉक्स में आर0ओ0 के पास सुरक्षित रखा जायेगा।
  - अन्य मशीनों की गणना जारी रहेगी। पूरी मतगणना के बाद प्रेक्षक तथा आर0ओ0 यह देखेंगे कि प्रथम (विजयी हो रहा) उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या तथा द्वितीय (उपविजेता हो रहा) उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या में अन्तर उक्त मशीन/मशीनों में पड़े मतों से अधिक है या कम है ?

- कम या अधिक अन्तर की दोनों दशाओं में आर0ओ0/गणना पर्यवेक्षक उक्त सुरक्षित रखी गयी मशीन/मशीनों के कण्ट्रोल यूनिट की **टोटल बटन** को दबाकर यह देखेंगे कि कितने मत पड़े हैं। यदि प्रपत्र–17ग में अंकित कुल पड़े मतों की संख्या से मशीन/मशीनों में पड़े मतों की संख्या से मेल खाती है तो आर0ओ0/गणना पर्यवेाक कण्ट्रोल यूनिट/यूनिटों के **क्लोज बटन** को दबायेंगे जिससे **रिजल्ट बटन** को दबाकर परिणाम के आंकड़े देखे जा सकें या रिकार्ड किये जा सकें। यह प्रक्रिया प्रत्याशियों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष उन्हें समझाकर की जायेगी तथा प्रक्रिया का एक कार्यवृत्त बनाकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे। एक विस्तृत रिपोर्ट उक्त पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक–ए में आयोग को तुरन्त भेजी जायेगी।
- यदि प्रपत्र–17ग में कुल पड़े मतों की संख्या मशीन/मशीनों में पड़े मतों की संख्या से मेल नहीं खाती है तो प्रकरण को तुरन्त आयोग को सन्दर्भित किया जायेगा तथा मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

- यदि पहले और दूसरे के मध्य मतों का अन्तराल प्रश्नगत मशीन/मशीनों में कुल पड़े मतों से अधिक है तो अनुलग्नक– बी पर आयोग को रिपोर्ट भेजी जायेगी।
- यदि मतों का अन्तराल कम है तो अनुलग्नक–सी पर आयोग को रिपोर्ट भेजी जायेगी।
- मतगणना के पश्चात सभी कण्ट्रोल यूनिटों को विधिवत सील कर तथा प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर सील पर कराकर स्ट्रांग रूम में नियमानुसार रखवा दिया जायेगा।

➢ परिणाम की घोषणा और निर्वाचन की विवरणी (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा– 65,66 और 67क, निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–64 और आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–15)

- प्रपत्र–20 में अन्तिम परिणाम पत्रक तैयार करने और प्रेक्षक का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात परिणाम की घोषणा की जायेगी।
- परिणाम की औपचारिक घोषणा प्रपत्र–21ग में की जायेगी।
- परिणाम का दिनांक ही, घोषित परिणाम का दिनांक होगा।
- प्रपत्र–21ङ में निर्वाचन की विवरणी पूर्ण करके प्रमाणित की जायेगी।
- प्रपत्र–20, 21ग और 21ङ की प्रत्येक की एक–एक प्रति प्रेक्षक को दी जायेगी।

➢ ई0वी0एम0 और निर्वाचन अभिलेखों का पुनः सील किया जाना

(आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–14 का पैरा 32 और 34, निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम 930(1))

- मतगणना समाप्त होने के तत्काल बाद कण्ट्रोल यूनिटें और नियम 93(1) के अधीन निर्वाचन पत्रों के पैकटों को आर0ओ0 की सील और आयोग की गोपनीय सील से बन्द कर दिया जायेगा।
- गोपनीय सील केवल पैकटों पर ही न कि किसी ट्रंक के लॉक पर लगायी जायेगी।
- प्रयोग किये गये कण्ट्रोल यूनिटों को बाक्सों में सील किये जाने के पश्चात निर्वाचन पत्रजात सम्बन्धी कार्यवाहियां यथाविहित रूप में सम्पादित की जायेंगी।

➢ गोपनीय सील का वापस किया जाना–

- सीलिंग का कार्य पूरा हो जाने के बाद गोपनीय सील को एक अलग पैकेट में रखकर उसे सील कर दिया जायेगा। उम्मीदवारों को पैकेट पर अपनी सील लगाने की अनुमति होगी।
- इसे पंजीकृत बीमाकृत डाक द्वारा मतगणना के चौबीस घण्टे के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को वापस भेज दी जायेगी।

➢ निर्वाचन प्रमाण पत्र (लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–53 और नि0संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–66)

- परिणाम घोषित किये जाने के ठीक बाद, उम्मीदवार को प्रपत्र–22 में एक निर्वाचन प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा। उक्त प्रमाण पत्र अंग्रेजी या हिन्दी में होगा।
- ऐसे उम्मीदवार से आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–15 के पैरा–9 में प्रदत्त प्रारूप में उक्त प्रमाण पत्र की रसीद प्राप्त की जानी आवश्यक होगी। अभिस्वीकृति पत्र पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर का सम्यक् रूप से अभिपप्रमाणन, आर0ओ0 द्वारा किया जायेगा।

➢ निर्वाचन की रिपोर्टें (आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय– 15 का पैरा–7)

- आर0 ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–15 के पैरा–7 में यथा उल्लिखित रूप में निर्वाचन के परिणाम की सूचना, प्राधिकारियों को तत्काल फैक्स द्वारा/तीव्रतम प्रसारण के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।

- परिणाम आदि से सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रेषित की जायेंगी (आर0ओ0 हस्तपुस्तिका के अध्याय–15 के पैरा–5,6 एवं 9 और लो0प्र0अधि0, 1951 की धारा–67 तथा निर्वा0संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–64,66)।

➢ परिणाम के पश्चात निर्वाचन अभिलेखों/ई0वी0एम0 की पूर्ण अभिरक्षा (निर्वा0 संचा0 नियमावली, 1961 का नियम–92, 93 और 94 तथा आर0ओ0 हस्तपुस्तिका का अध्याय–18)

- दो तालों में – एक चाभी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास और एक चाभी टी0ओ0 के पास।
- अभिलेखों का निरीक्षण/उनकी सत्यापित प्रतियां, जो प्रतिबद्ध न हों।
- अभिलेखों का निस्तारण– निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात।
- निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद ई0वी0एम0 का भी निस्तारण करके उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के गोदाम/भण्डार में सुरक्षित स्थान पर तथा विहित प्रतिमानों के अनुसार रख दिया जायेगा।
- जहां कोई निर्वाचन याचिका विचाराधीन हो, वहां अभिलेखों और ई0वी0एम0 का निस्तारण नहीं किया जायेगा बल्कि उन्हें अक्षत रूप में रखा जायेगा।

धन्यवाद

सफल निर्वाचन के लिए

शुभकामनाएं